

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--|
| “ प्ररुष | आकवि-3 | भारतीय आय-कर विवरणी (ऐसे व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से आय है) (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए) (कृपया अनुदेश देखिए) | निर्धारण वर्ष | | | | | | | |
| | | | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 2 | 6 | |

| भाग क- साधारण | | साधारण | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|
| व्यक्तिगत सूचना | (क1) पहला नाम | (क2) मध्य नाम | (क3) अन्तिम नाम | (क4) स्थायी लेखा सं0 | | | | | | | | | | |
| | (क5) फ्लैट/दरवाजा/ब्लाक सं. | | (क6) परिसर/भवन/ग्राम का नाम | | | | (क14) प्रास्थिति (चयनित करें) | | | | | | | |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | | | | | | | |
| | (क7) सड़क/गली/डाक घर | | (क8) जन्म तारीख/विरचना की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) | | | | (क15) व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) | | | | | | | |
| | (क9) क्षेत्र/अवस्थान | | (क16) आधार संख्यांक (12 अंक) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | (क10) नगर/शहर/जिला | | (क11) राज्य | | | | (क12) पिन कोड/जिप कोड | | | | | | | |
| | | | (क13) देश | | | | | | | | | | | |
| | | | (क17) एस.टी.डी कोड सहित निवास/कार्यालय का फोन नं0/मोबाइल नं0 1 | | | | | | मोबाइल नं0 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (क18) ई मेल पता-1 (स्वयं का) | | | | | | ई मेल पता-2 | | | | | | |
| (क19) | आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख [ड्रॉप डाऊन उपलब्ध कराए जाने हैं] | | | | | | | | | | | | | |
| (का) | 1. 31 जुलाई 2. 31 अक्तूबर 3. 30 नवंबर | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फाइल करने की प्राप्ति | (क19) (कii) | 1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएँ) [कृपया अनुदेश देखें] | <input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- नियत तारीख के पश्चात् <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित विवरणी, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात् |
| | | या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई | <input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग |
| | (ख) | वर्तमान निर्धारण वर्ष (नि.व.) के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का चयन करने (यदि लागू है) की रीति <input type="checkbox"/> 10झडक प्रस्तुत करके (जिनकी कारवार या वृत्ति से आय है) (उत्तर सेट क) <input type="checkbox"/> केवल आय की विवरणी में विकल्प का प्रयोग करके (प्ररूप 10झडक लागू नहीं होता है) (उत्तर सेट ख) (सेट क) क्या आपने नि.व. 2024-25 में प्ररूप 10झडक में धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग किया है ? (क) <input type="checkbox"/> हां (यदि 'हां' है, तो नि.व. 2024-25 के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (क1) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प को जारी रखना चाहते हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'नहीं' है, तो नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक नियत तारीख प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (ख) <input type="checkbox"/> नहीं, (कृपया तब भी 'नहीं' का चयन करें, यदि नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है) (ख1) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'हां' है, तो नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (ग) <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता (नि.व. 2024-25 के लिए आय की विवरणी, प्ररूप 10झडक की अपेक्षा के बिना, आकवि1/आकवि2/आकवि3 में प्रस्तुत की गई थी) (ग1) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'हां' है, तो नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (सेट ख) क्या आप धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का चयन करना चाहते हैं ? (डिफाल्ट 'नहीं' है) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं टिप्पण--धारा 115खकग(6) के अधीन विकल्प का प्रयोग, धारा 139(1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व किया जाना चाहिए। | |
| | (ग) | क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्यथा आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें,— [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, किन्तु वह धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन उल्लिखित शर्तों में से एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहा है।] | |
| | (गi) | क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं) | (यदि हां है तो) रकम (रु) |
| | (गii) | क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है ? | (यदि हां है तो) रकम (रु) |
| | (गiii) | क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं) | (यदि हां है तो) रकम (रु) |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| | (गiv) | क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाऊन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें) | | | | | | (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | (घ) | यदि पुनरीक्षित/वृष्टिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख और रसीद सं0 प्रविष्ट करें (डीडी/एमएम/ वाईवाईवाईवाई) | | | | | | / / |
| | (ङ) | यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई है, तो यूनिफ नंबर/डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना आदेश की तारीख प्रस्तुत करें, या यदि धारा 92गघ के अधीन दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख प्रस्तुत करें | | | | (यूनिक नंबर) | | / / |
| | (च) | भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं | (क) निवासी | <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ष के दौरान 60 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाजरानी पर कर्मीदल के सदस्य के रूप में, भारत छोड़ दिया है और पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या इससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और पूर्ववर्ष के दौरान भारत में दौरे पर आए हैं और क) पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे ; या ख) पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे, यदि विदेशी खोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रू. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(ख)] | | | | |
| | | | (ख) निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं। | <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो भारत में दौरे पर आया है, जिसकी विदेशी खोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रू. से अधिक हो और भारत में पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक, लेकिन 182 दिन से कम रहा है। [धारा 6(6)(ग)] <input type="checkbox"/> आप भारत के ऐसे नागरिक हैं, जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान, विदेशी खोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रू. से अधिक है और जो किसी अन्य देश या क्षेत्र में, अपने अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण, कर से प्रभार्य नहीं है [धारा 6(6)(ग)] | | | | |
| | | | (ग) अनिवासी | <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ष के दौरान अनिवासी थे (i) कृपया पूर्ववर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें — | | | | |
| | | | | क्रम सं. | निवास की अधिकारिता | करदाता पहचान संख्या | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | 2 | | | | |
| | | | | (ii) यदि आप भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कृपया विनिर्दिष्ट करें-- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | पूर्ववर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में) | पूर्ववर्षी 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में) | | | | | | | | | |
| | | भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं) | | | <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी | | | | | | | | | | |
| | (छ) | क्या आप धारा 115ज के अधीन प्रसुविधा का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू) | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | | | | |
| | (ज) | क्या आप धारा 5क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें) | | | | | | | | | | | | | |
| | (झ) | क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) | प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) | प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाऊन उपलब्ध कराए जाने हैं) | | | | | | | | | | | | |
| | | (3) | प्रतिनिधि निर्धारिती का पता | | | | | | | | | | | | |
| | | (4) | प्रतिनिधि निर्धारिती का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/आधार संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | (ञ) | क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें। | | | | | | | | | | | | | |
| | | कंपनी का नाम | कंपनी का प्रकार | स्थायी लेखा सं. | क्या इसके शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध | निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं) | | | | | | | | | |
| | (ट) | क्या आप फर्म में भागीदार है? <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें - | | | | | | | | | | | | | |
| | | फर्म का नाम | | | स्थायी लेखा सं. | | | | | | | | | | |
| | (ठ) | क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं? <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया साम्या शेयर के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें। | | | | | | | | | | | | | |
| | | कंपनी का नाम | कंपनी का प्रकार | स्थायी लेखा सं. | आरंभिक अतिशेष | वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर | वर्ष के दौरान अंतरित शेयर | अंत अतिशेष | | | | | | | |
| | | | | | शेयरों की संख्या | अर्जन की लागत | शेयरों की संख्या | अभिदान/क्रय की तारीख | प्रति शेयर अंकित मूल्य | प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में) | प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में) | शेयर की संख्या | अर्जन की लागत | शेयर की संख्या | विक्रय प्रतिफल |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | (ड) | अनिवासी की दशा में, क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | | | | | | | | |
| | (ढ) | अनिवासी की दशा में, क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया निम्नलिखित का विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संव्यवहार या संव्यवहारों से उद्भूत संदायों का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या | | | | | | | | | | | | | |
| | (ण) | क्या निर्धारिती की किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है और उसकी केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न होती है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | | | | | | | | |
| | (त) | क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करें | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| | (थ) | विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल ई आई) विवरण (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या उससे अधिक है, तो अनिवार्य) | | | |
| | | एल ई आई सं. | | तारीख, जिस तक वैध है | |
| लेखा संपरीक्षा जानकारी | (क1) | क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | |
| | (क2) | क्या निर्धारिती केवल 44कड/44ख/44खब/44कघ/44कच/44खख/44खखग के अधीन आय की घोषणा कर रहा है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | |
| | (क2i) | यदि नहीं, तो क्या वर्ष के दौरान कारबार की कुल बिक्री/आवर्त/सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपए के बीच है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, आवर्त 1 करोड़ से अधिक नहीं है <input type="checkbox"/> नहीं, आवर्त 10 करोड़ के अधिक है | | | |
| | (क2ii) | यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पूर्ववर्ष के दौरान बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियों या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का सकल, नकद और गैर पाने वाले के खाते में चेक/डीडी के रूप में, उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | |
| | (क2iii) | यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पूर्ववर्ष के दौरान व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी संदायों का सकल, नकद और गैर पाने वाले के खाते में चेक/डीडी के रूप में, उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | |
| | (ख) | क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | |
| | | यदि (ख) पर हां चुना जाता है, निम्नलिखित शर्तों में से उस शर्त को वर्णित करें, जिसके आधार पर चुना गया है : | | | |
| | (खi) | विक्रय, आवर्त या कुल प्राप्तियां, धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) | | | |
| | (खii) | निर्धारिती धारा 44कघ/धारा 44कच/धारा 44कड/धारा 44खख में आता है, परंतु उपधारणात्मक आधार पर आय प्रस्थापित नहीं कर रहा है (लागू धारा में <input checked="" type="checkbox"/> चिन्ह लगाएं) <input type="checkbox"/> 44कघ <input type="checkbox"/> 44कच <input type="checkbox"/> 44कड <input type="checkbox"/> 44खख | | | |
| | (खiii) | अन्य <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) | | | |
| | (ग) | यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां है तो, निम्न सूचना प्रस्तुत करें | | | |
| | | (1) | लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) / / | | |
| | | (2) | कर लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम | | |
| | | (3) | लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या | | |
| | (4) | लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म) | | | |
| | (5) | स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या | | | |
| | (6) | स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/आधार सं. | | | |
| | (7) | लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख | | | |
| | (8) | लेखा संपरीक्षा की अधिस्वीकृति सं. | | | |
| | (9) | यूडीआईएन | | | |
| (घi) | क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | |
| (घii) | यदि (घi) हां है, क्या खातों की संपरीक्षा धारा 93ड के अधीन की गई है | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | लेखा संपरीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) | पावती सं. | |
| (घiii) | यदि अन्य लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, तो वर्णित करें कि क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) (कृपया निर्देश देखें) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | क्रम सं. | धारा कोड | तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) | पावती सं. | |
| (ड) | यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें। | | | | |

| | अधिनियम और धारा | डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई | अधिनियम और धारा | डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| कारबार की प्रकृति | कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलापों/उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कघक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न) | | | |
| क्र०सं० | कोड (कृपया अनुदेश देखें) | स्वत्वधारी का व्यापार नाम, यदि कोई है | वर्णन | |
| (i) | | | | |
| (ii) | | | | |
| (iii) | | | | |

| भाग क - तुलनपत्र | | स्वत्वधारी कारबार या वृत्ति का 31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र (ऐसे मामले में, जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें) | | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----|
| निधियों का उपयोग | 1 | स्वत्वधारी की निधि | | | | |
| | क | स्वत्वधारी की पूंजी | | | क | |
| | ख | आरक्षित और अधिशेष | | | | |
| | | i | पुनर्मूल्यांकन आरक्षित | खा | | |
| | | ii | पूंजी आरक्षित | खाii | | |
| | | iii | कानूनी आरक्षित | खाiii | | |
| | | iv | कोई अन्य आरक्षित | खाiv | | |
| | | v | योग (खा + खाii + खाiii + खाiv) | खv | | |
| | | ग | कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv) | | | 1ग |
| | 2 | ऋण निधियां | | | | |
| | | क | प्रतिभूत ऋण | | | |
| | | | i | विदेशी मुद्रा ऋण | क i | |
| | | | ii | रूपए में ऋण | | |
| | | | अ | बैंकों से ऋण | iiअ | |
| | | | आ | अन्य से | iiआ | |
| | | | इ | योग (iiअ + iiआ) | iiइ | |
| | | | iii | योग (का + iiइ) | काiii | |
| | | ख | अप्रतिभूत ऋण (जिसके अधीन निक्षेप राशि भी है) | | | |
| | | | i | बैंकों से ऋण | खi | |
| | | | ii | अन्य से | खii | |
| | | | iii | योग (ख i + खii) | खiii | |
| | | ग | योग ऋण निधि (काiii + खiii) | | | 2ग |
| | 3 | आस्थगित कर दायित्व | | | 3 | |
| | 4 | अग्रिम | | | | |
| | | | i | आय-कर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से | i | |
| | | ii | अन्यों से | ii | | |
| | | iii | कुल अग्रिम (i + ii) | 4iii | | |
| 5 | निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3 + 4iii) | | | 5 | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| निधियों का उपयोग | 1 | स्थिर आस्तियां | | | | |
| | | क | सकल ब्लाक | 1क | | |
| | | ख | अवक्षयण | 1ख | | |
| | | ग | शुद्ध ब्लाक (क - ख) | 1ग | | |
| | | घ | चल रहा पूंजी कार्य | 1घ | | |
| | | ङ | योग (1ग + 1घ) | | | 1ङ |
| | 2 | विनिधान | | | | |
| | | क | दीर्घकालिक विनिधान | | | |
| | | | i | सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई | का | |
| | | | ii | सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई | काii | |
| | | | iii | योग (का + काii) | | काiii |
| | | ख | अल्पकालिक विनिधान | | | |
| | | | i | साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित | खा | |
| | | | ii | अधिमाननी शेयर | खii | |
| | | | iii | डिविडेंड | खiii | |
| | | | iv | योग (खा + खii + खiii) | | खiv |
| | | ग | कुल विनिधान (काiii + खiv) | | | 2 ग |
| | 3 | चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम | | | | |
| | | क | चालू आस्तियां | | | |
| | | | i | बीजक | | |
| | | | अ | भंडार, जिसके अधीन खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है | ia | |
| | | | आ | कच्ची सामग्री | iaa | |
| | | | इ | कार्यरत भंडार | iaइ | |
| | | | ई | तैयार माल /व्यापार माल | iaई | |
| | | | उ | योग (ia + iaa + iaइ + iaई) | | iaउ |
| | | | ii | अन्यान्य ऋणी | | काii |
| | | | iii | नकद और बैंक अतिशेष | | |
| | | | | अ | हस्तगत नकदी | iiiअ |
| | | | आ | बैंक के पास अतिशेष | iiiआ | |
| | | इ | योग (iiiअ + iiiआ) | | iiiइ | |
| | | iv | अन्य चालू आस्तियां | | काiv | |
| | | v | कुल चालू आस्तियां (iaउ + काii + iiiइ + काiv) | | कv | |
| | ख | ऋण और अग्रिम | | | | |
| | | i | नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य | खा | | |
| | | ii | निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम | खii | | |
| | | iii | राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष | खiii | | |
| | | iv | योग (खा + खii + खiii) | | खiv | |
| | ग | चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खiv) | | | 3ग | |
| | घ | चालू दायित्व और उपबंध | | | | |
| | | i | चालू दायित्व | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|--|--|
| | अ | अ | अन्यान्य लेनदार | iअ | | |
| | | आ | पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व | iआ | | |
| | | इ | उपर्युक्त पर उदभूत व्याज | iइ | | |
| | | ई | उदभूत व्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं | iई | | |
| | | उ | योग (iअ + iआ + iइ + iई) | iउ | | |
| | ii | अ | आय-कर के लिए उपबंध | iiअ | | |
| | | आ | छुट्टी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध | iiआ | | |
| | | इ | अन्य उपबंध | iiइ | | |
| | | ई | योग (iiअ + iiआ + iiइ) | iiई | | |
| | iii | योग (iउ + iiई) | चiii | | | |
| | ड | शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - चiii) | 3ड | | | |
| | 4 | क | अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय | 4क | | |
| | | ख | आस्थगित कर आस्ति | 4ख | | |
| | | ग | लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष | 4ग | | |
| | | घ | योग (4क +4ख +4ग) | 4घ | | |
| 5 | निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड +4घ) | 5 | | | | |
| बहु दशा, जहां लेखा नहीं रखे जाते हैं | 6 | उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है-- (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2024 तक की निम्नलिखित जानकारी दें) | | | | |
| | क | अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम | 6क | | | |
| | ख | अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम | 6ख | | | |
| | ग | व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम | 6ग | | | |
| | घ | नकदी बकाया की रकम | 6घ | | | |

| भाग क- विनिर्माण लेखा | | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें) | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|---|
| 1 | विनिर्माण लेखा के लिए विकलन | | | | | |
| | क | आरंभिक सूची | | | | |
| | | i | कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक | i | | |
| | | ii | चालू काम का आरंभिक स्टॉक | ii | | |
| | | iii | कुल (i + ii) | | कiii | |
| | ख | क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो) | | | ख | |
| | ग | प्रत्यक्ष मजदूरी | | | | ग |
| | | घ | प्रत्यक्ष व्यय (घा + घii + घiii) | | | घ |
| | | | i | आवक वहन व्यय | i | |
| | | | ii | विद्युत आर ईंधन | ii | |
| iii | | अन्य प्रत्यक्ष व्यय | iii | | | |
| ड. | | कारखाने का उपरी व्यय | | | | |
| I | | अप्रत्यक्ष मजदूरी | i | | | |
| ii | | कारखाना किराया और दरें | ii | | | |
| iii | | कारखाना बीमा | iii | | | |
| iv | | कारखाना ईंधन और विद्युत | iv | | | |
| v | कारखाने का साधारण व्यय | v | | | | |
| vi | कारखाना मशीनरी का अवक्षयण | vi | | | | |
| Vii | कुल (I+ii+iii+iv+v+vi) | | | ड.vii | | |
| च | विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii) | | | 1च | | |
| 2 | अंतिम स्टॉक | | | | | |
| | i | कच्ची सामग्री | 2i | | | |
| | ii | चालू काम | 2ii | | | |
| | कुल (2i +2ii) | | | 2 | | |
| 3 | माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2) | | | | 3 | |

| भाग -क व्यापारिक लेखा | | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 65 भरें, यथा लागू) | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---|
| व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय | 4 | संक्रियाओं से राजस्व | | | | |
| | | क | कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो | | | |
| | | | I | माल का विक्रय | i | |
| | | ii | सेवाओं का विक्रय | ii | | |
| | iii | अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें) | | | | |
| | | क | | iiiए | | |
| | | ख | | iiiड | | |
| | ग | कुल (iiiक + iiiख) | | iiiग | | |
| | iv | कुल (i + ii + iii ग) | | | कiv | |
| | ख | वृत्ति से सकल प्राप्ति | | | | ख |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| | ग | बिक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर | | | |
| | | i | संघ उत्पाद शुल्क | i | |
| | | ii | सेवा कर | ii | |
| | | iii | मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर | iii | |
| | | iv | केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) | iv | |
| | | v | राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) | v | |
| | | vi | समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी) | vi | |
| | | vii | संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) | vii | |
| | | viii | कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर | viii | |
| | | ix | कुल (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii) | | gix |
| | घ | संक्रियाओं से कुल राजस्व (कiv + ख+गix) | | 4घ | |
| 5 | तैयार माल का अंतिम स्टॉक | | 5 | | |
| 6 | व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5) | | 6 | | |
| व्यापारिक लेखा के लिए विकल्प | 7 | तैयार माल का आरंभिक स्टॉक | | 7 | |
| | 8 | क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों) | | 8 | |
| | 9 | प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii) | | 9 | |
| | | i | आवक वहन व्यय | 9i | |
| | | ii | विद्युत और ईंधन | 9ii | |
| | | iii | अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है) | 9iii | |
| | 10 | क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय | | | |
| | | i | सीमा शुल्क | 10i | |
| | | ii | प्रति शुल्क | 10ii | |
| | | iii | विशेष अतिरिक्त शुल्क | 10iii | |
| | iv | संघ उत्पाद शुल्क | 10iv | | |
| | v | सेवा कर | 10v | | |
| | vi | मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर | 10vi | | |
| | vii | केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) | 10vii | | |
| | viii | राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) | 10viii | | |
| | ix | समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी) | 10ix | | |
| | x | संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) | 10x | | |
| | xi | कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर | 10xi | | |
| | xii | योग (10i+10ii+10iii+10iv+10v+10vi+10vii+10viii+10ix+10x+10xi) | | 10xii | |
| 11 | माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित | | 11 | | |
| 12 | कारबार/वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11) | | 12 | | |
| 12क | इंट्राडे का कारबार से आवर्त | | 12क | | |
| 12ख | इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि लेखा को अंतरित | | 12ख | | |

| | | | |
|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| भाग क-लाभ और हानि | | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें, अन्यथा यथा लागू 61 से 65 भरें) | |
| क्र.सं. | 13 | व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12+12ख) | 13 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|
| 14 | अन्य आय | | | | | |
| | i | किराया | i | | | |
| | ii | कमीशन | ii | | | |
| | iii | लाभांश आय | iii | | | |
| | iv | ब्याज आय | iv | | | |
| | v | नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ | v | | | |
| | vi | प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ | vi | | | |
| | vii | अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ | vii | | | |
| | viii | धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अमिलाभ (हानि) | viii | | | |
| | ix | धारा 28(vिक) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य) | ix | | | |
| | x | कृषि आय | x | | | |
| | xi | कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | | |
| | | क | | xiए | | |
| | ख | | xiइ | | | |
| | ग | योग (xiक + xiख) | xic | | | |
| xii | अन्य आय का योग (I + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग) | | | 14xii | | |
| लाभ और हानि लेखा से विकलत | 15 | लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii) | | | 15 | |
| | 16 | बर्हिगामी माल भाडा | | | 16 | |
| | 17 | भंडारों और कलपुजों का उपभोग | | | 17 | |
| | 18 | विद्युत और ईंधन | | | 18 | |
| | 19 | किराया | | | 19 | |
| 20 | भवनों की मरम्मत | | | 20 | | |
| | मशीनरी की मरम्मत | | | 21 | | |
| | 22 कर्मचारियों को प्रतिकर | | | | | |
| | i | वेतन और मजदूरी | 22i | | | |
| | ii | बोनस | 22ii | | | |
| | iii | चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति | 22iii | | | |
| | iv | छुट्टी नकदीकरण | 22iv | | | |
| | v | छुट्टी यात्रा फायदा | 22v | | | |
| | vi | अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय | 22vi | | | |
| | vii | मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय | 22vii | | | |
| | viii | मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय | 22viii | | | |
| | ix | किसी अन्य निधि में अभिदाय | 22ix | | | |
| | x | कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है | 22x | | | |
| xi | कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग) | | | 22xi | | |
| xii | क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है | | | xiiक | हां / नहीं | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| | यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम | xiiख | | |
| 23 | बीमा | | | |
| | i चिकित्सा बीमा | 23i | | |
| | ii जीवन बीमा | 23ii | | |
| | iii कीमेन्स बीमा | 23iii | | |
| | iv अन्य बीमा, जिसके अधीन कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं | 23iv | | |
| | v बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv) | | 23v | |
| 24 | कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय | | 24 | |
| 25 | मनोरंजन | | 25 | |
| 26 | सत्कार | | 26 | |
| 27 | सम्मेलन | | 27 | |
| 28 | प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न) | | 28 | |
| 29 | विज्ञापन | | 29 | |
| 30 | कमीशन | | | |
| | i भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त | i | | |
| | ii अन्यो को संदत्त | ii | | |
| | iii योग (i + ii) | | 30iii | |
| 31 | स्वामित्व | | | |
| | i भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त | i | | |
| | ii अन्यो को संदत्त | ii | | |
| | iii योग (i + ii) | | 31iii | |
| 32 | वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस | | | |
| | i भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त | i | | |
| | ii अन्यो को संदत्त | ii | | |
| | iii योग (i + ii) | | 32iii | |
| 33 | होटल, बोर्डिंग और वासा | | 33 | |
| 34 | विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय | | 34 | |
| 35 | विदेशी यात्रा व्यय | | 35 | |
| 36 | वाहन व्यय | | 36 | |
| 37 | टेलीफोन व्यय | | 37 | |
| 38 | अतारीख गृह व्यय | | 38 | |
| 39 | क्लब व्यय | | 39 | |
| 40 | त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय | | 40 | |
| 41 | छात्रवृत्ति | | 41 | |
| 42 | दान | | 42 | |
| 43 | दान | | 43 | |
| 44 | दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर) | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 58 | विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57) | | | | 58 | |
| | 59 | आरक्षित और अधिशेष के लिए अंतरित | | | | 59 | |
| | 60 | स्वत्वधारी के लेख में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अधिशेष (58 -59) | | | | 60 | |
| उपधारात्मक मामले | 61 | धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारवार आय की संगणना | | | | | |
| | | क्रम सं. | कारवार का नाम | | कारवार कोड | विवरण | |
| | | | | | | | |
| | (i) | सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (ik + iख+ ig) (61i, 2 करोड़ रु. तक सीमित, तथापि, यदि 61iख+61ig, 61i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 61i के अधीन सीमा 3 करोड़ तक विस्तारित की जाती है) | | | | 61i | |
| | (क) | निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त | | ik | | | |
| | (ख) | नकद में प्राप्ति | | iख | | | |
| | (ग) | क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति | | ig | | | |
| | (ii) | धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iik + iिख) | | | | 61ii | |
| | (क) | 61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो | | iik | | | |
| | (ख) | 61iख+61ig का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो | | iिख | | | |
| | टिप्पण : यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है। | | | | | | |
| | 62 | धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना | | | | | |
| | | क्रम सं. | कारवार का नाम | | कारवार कोड | विवरण | |
| | | | | | | | |
| | (i) | सकल प्राप्तियाँ (62i, 50 लाख रु0 तक सीमित, तथापि, यदि 62iख+62ig, 62i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 62i के अधीन सीमा 750 लाख रु0 तक विस्तारित की जाती है) | | | | 62i | |
| | (क) | निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त | | iक | | | |
| | (ख) | नकद में प्राप्ति | | iख | | | |
| | (ग) | क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति | | ig | | | |
| | (ii) | धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम, जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो) | | | | 62ii | |
| | टिप्पण : यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है। | | | | | | |
| | 63 | धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना | | | | | |
| | | क्रम सं. | कारवार का नाम | | कारवार कोड | विवरण | |
| | | | | | | | |
| | | माल वहन की रजिस्ट्री-करण सं. | क्या स्वामित्व/पट्टे/किराया | माल वहन की टन भार क्षमता (मिट्रीक टन में) | मासों की संख्या, जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/किराया पर दिया गया था। | माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति मास प्रति मास प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु0 प्रति मास की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो | |
| | (i) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | (क) | | | | | | |
| | (ख) | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| | | कुल | | | |
| | | आवश्यकतानुसार पंक्ति में व्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए) | | | |
| | (ii) | धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधारात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग] | | | 63(iii) |
| | | टिप्पण : यदि लाभ धारा 44 कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व/पट्टे/किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कड. के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है। | | | |
| वह दशा, जहां लेखा नहीं रखे जाते हैं | 64 | यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्ववर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। | | | |
| | (i) | कारबार करने वाले निर्धारिती के लिए | | | |
| | क | सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2) | क | | |
| | | 1 निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त | क1 | | |
| | | 2 कोई अन्य रीति | क2 | | |
| | ख | सकल लाभ | ख | | |
| | ग | व्यय | ग | | |
| | घ | शुद्ध लाभ | | | 64i |
| | (ii) | वृत्ति करने वाले निर्धारिती के लिए | | | |
| | क | कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2) | iiए | | |
| | | 1 निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त | क 1 | | |
| | | 2 कोई अन्य रीति | क 2 | | |
| | ख | सकल लाभ | | | |
| | ग | व्यय | | | |
| घ | शुद्ध लाभ | | | 64ii | |
| (iii) | कुल लाभ(64i + 64ii) | | | 64iii | |
| 65 | I | सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवर्त | | | 65i |
| | ii | सकल लाभ | | | 65ii |
| | iii | व्यय, यदि कोई हो | | | 65iii |
| | iv | सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii) | | | 65iv |

| भाग क - अन्य जानकारी | | अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है, तो आज्ञापक है; अन्य के लिए, यदि लागू हो तो भरें) | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | पूर्ववर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/> नकद | | | | |
| 2 | यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं | | | | |
| 3क | धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)] | 3क | | | |
| 3ख | धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)] | 3ख | | | |
| 4 | पूर्ववर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टाक के मूल्यांकन के पद्धति | | | | |
| क | कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें) | | | | <input type="checkbox"/> |
| ख | तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें) | | | | <input type="checkbox"/> |
| ग | क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं | | | | |
| घ | धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी | 4घ | | | |
| ङ | धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि | 4ङ | | | |
| 5 | लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है— | | | | |
| क | धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें | 5क | | | |
| ख | प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय या जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। | 5ख | | | |
| ग | पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे | 5ग | | | |
| घ | आय की कोई अन्य मद | 5घ | | | |
| ङ | पूँजी रसीद, यदि कोई है | 5ङ | | | |
| च | लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क +5ख +5ग +5घ +5ङ) | 5च | | | |
| 6 | सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें | | | | |
| क | स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)] | 6क | | | |
| ख | कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(ख)] | 6ख | | | |
| ग | दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)] | 6ग | | | |
| घ | उधार ली गई पूँजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)] | 6घ | | | |
| ङ | शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiए)] | 6ङ | | | |
| च | किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6च | | | |
| छ | किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6छ | | | |
| ज | धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को शेयरदान की रकम | 6ज | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| | झ | किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)] | 6झ | | |
| | ञ | किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)] | 6ञ | | |
| | ट | किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ईएसआई अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को शेयरदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)] | 6ट | | |
| | ठ | डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)] | 6ठ | | |
| | ड | डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)] | 6ड | | |
| | ढ | किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)] | 6ढ | | |
| | ण | कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)] | 6ण | | |
| | त | प्रतिभूतियों में संयवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूतियों की रकम, यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)] | 6त | | |
| | थ | धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार धाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)] | 6 थ | | |
| | द | कोई अन्य नामजूरी | 6 द | | |
| | ध | धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग) | | 6 ध | |
| 7 | अ | धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | | | |
| | क | पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)] | 7क | | |
| | ख | व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)] | 7ख | | |
| | ग | कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अनन्य रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए व्यय [37(1)] | 7ग | | |
| | घ | किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)] | 7घ | | |
| | ङ | तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय | 7ङ | | |
| | च | कोई अन्य शास्ति या जुर्माना | 7च | | |
| | छ | किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय | 7छ | | |
| | ज | किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम | 7ज | | |
| | झ | धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम | 7झ | | |
| | ञ | धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग) | | 7ञ | |
| 8 | अ | धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | | | |
| | क | अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम | अक | | |
| | ख | अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (I क) XVII- ख | अख | | |
| | ग | वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अनुपालना पर, धारा 40(क) (iख) के अधीन अनुज्ञेय रकम | अग | | |
| | घ | अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम XVII-ख | अघ | | |

| | | | | | |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|
| | | इ लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)] | अइ | | |
| | | च धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(iiक)] | अच | | |
| | | छ धारा 40(क)(iiख) के अनुसार स्वामिस्व अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम | अछ | | |
| | | ज किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अधीन अस्वीकार्य | अज | | |
| | | झ कोई अन्य नामंजूरी | अझ | | |
| | | ञ धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग) | | 8अज | |
| | आ | किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम | | 8आ | |
| 9 | | धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | | | |
| | क | धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम | 9क | | |
| | ख | धारा 40क(3) के अधीन आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य | 9ख | | |
| | ग | उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40क(7)] | 9ग | | |
| | घ | किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40क(9)] | 9घ | | |
| | ङ | कोई अन्य नामंजूरी | 9ङ | | |
| | च | धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ) | | 9च | |
| 10 | | किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय, किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम | | | |
| | क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि | 10क | | |
| | ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 10ख | | |
| | ग | दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि | 10ग | | |
| | घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10घ | | |
| | चक | ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम | 10चक | | |
| | ङ | किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10ङ | | |
| | च | अवकाश नकदीकरण के मद्दे संदेय कोई राशि | 10च | | |
| | छ | रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम | 10छ | | |
| | ज | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे 15सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम | 10ज | | |
| | झ | धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग) | | 10झ | |
| 11 | | पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अनुज्ञेय | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|
| | क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि | 11क | | |
| | ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 11ख | | |
| | ग | दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि | 11ग | | |
| | घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11घ | | |
| | घक | ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम | 11घक | | |
| | ङ | किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11ङ | | |
| | च | अवकाश नकदीकरण के मदे संदेय कोई राशि | 11च | | |
| | छ | रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम | 11छ | | |
| | ज | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम | 11ज | | |
| | झ | धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग) | | 11झ | |
| 12 | निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम | | | | |
| | क | संघ उत्पाद शुल्क | 12क | | |
| | ख | सेवा कर | 12ख | | |
| | ग | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 12ग | | |
| | घ | केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) | 12घ | | |
| | ङ | राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) | 12ङ | | |
| | च | एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) | 12च | | |
| | छ | संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) | 12छ | | |
| | ज | कोई अन्य रकम | 12ज | | |
| | झ | बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग) | | 12झ | |
| 13 | धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम | | | | 13 |
| 14 | धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम | | | | 14 |
| 15 | लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम | | | | 15 |
| 16 | धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम | | | | 16 |
| 17 | क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां नहीं <input type="checkbox"/> [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें] | | | | 17 |
| भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे | | मात्रात्मक ब्यौरे (आजापक, यदि धारा 44कख के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है) | | | |
| मात्रात्मक ब्यौरे | (क) | किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में | | | |
| | 1 | आरंभिक स्टाक | | 1 | |
| | 2 | पूर्ववर्ष के दौरान क्रय | | 2 | |
| | 3 | पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय | | 3 | |
| | 4 | अंतिम स्टाक | | 4 | |
| | 5 | कमी/अधिक यदि कोई हो | | 5 | |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|----|
| (ख) | किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में | | |
| 6 | कच्ची सामग्री | | |
| | क | आरंभिक स्टॉक | 6क |
| | ख | पूर्ववर्ष के दौरान क्रय | 6ख |
| | ग | पूर्ववर्ष के दौरान खपत | 6ग |
| | घ | पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय | 6घ |
| | ङ | अंतिम स्टॉक | 6ङ |
| | च | प्राप्त तैयार माल | 6च |
| | छ | प्राप्ति की प्रतिशतता | 6छ |
| | ज | कमी/अधिक, यदि कोई हो | 6ज |
| 7 | तैयार माल / उपोत्पाद | | |
| | क | आरंभिक स्टॉक | 7क |
| | ख | पूर्ववर्ष के दौरान क्रय | 7ख |
| | ग | पूर्ववर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा | 7ग |
| | घ | पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय | 7घ |
| | ङ | अंतिम स्टॉक | 7ङ |
| | च | कमी/अधिक, यदि कोई हो | 7च |

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुसूची वेतन | | वेतन से आय का ब्यौरा | |
| वेतन | नियोजक का नाम | | नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्रॉप डाऊन दिया जाएगा) |
| | नियोजक का पता | | नगर / शहर |
| | | | राज्य |
| | | | पिन कोड / ज़िप कोड |
| | 1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च) | | 1 |
| | क | धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए) | 1क |
| | ख | धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए) | 1ख |
| | ग | धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए) | 1ग |
| | घ | धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय | 1घ |
| | ङ | अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के अधीन देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय | 1ङ |
| च | गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय जिसमें धारा 89क के अधीन अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया | 1च | |
| (एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े) | | | |
| 2 | कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से) | 2 | |
| 2क | धारा 89 क के अधीन करायान से राहत के लिए आय का दावा | 2क | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| | धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते | | | | |
| 3 | (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (टिप्पण: सुनिश्चित करें कि यह उपर्युक्त (2) में कुल सकल आय में सम्मिलित है) | 3 | | | |
| 4 | कुल वेतन (2 - 2क - 3) | 4 | | | |
| 5 | धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग) | 5 | | | |
| | क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती | 5क | | | |
| | ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता | 5ख | | | |
| | ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर | 5ग | | | |
| 6 | 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5) | 6 | | | |

| अनुसूची गृह संपत्ति | | गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व दर्शित करने वाला ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए) | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| गृह संपत्ति | 1 | संपत्ति 1 का पता | नगर / शहर | राज्य | दिश | पिन कोड / ज़िप कोड |
| | | क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | | | | |
| | | संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%) <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | सह स्वामी (स्वामियों) का नाम | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या | संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता | | |
| | | I | | | | |
| | | II | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया | किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) | किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें) | किराएदार (किराएदारों) का पैन/टेन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है) | |
| | | I | | | | |
| | | II | | | | |
| | | क | प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या किराये पर देने का मूल्य | 1क | | |
| | | ख | किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती | 1ख | | |
| | | ग | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर | 1ग | | |
| | | घ | योग (1ख + 1ग) | 1घ | | |
| | | ङ | वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के अधिभोग आदि में है) | 1ङ | | |
| | | च | स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ) | 1च | | |
| | छ | 1च का 30% | 1छ | | | |
| | ज | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाऊन में भरना होगा) | 1ज | | | |
| | झ | योग (1छ + 2ज) | 1झ | | | |
| | ञ | वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया | 1ञ | | | |
| | ट | गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज) | 1ट | | | |
| | | (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें) | | | | |
| | 2 | पास श्रु आय/हानि, यदि कोई है * | 2 | | | |
| | 3 | "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (Σ1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2i अंक लें) | 3 | | | |

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| टिप्पण ▶ | इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें। |
| टिप्पण ▶ | किराएदार का पैन्/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है |
| टिप्पण ▶ | किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है |

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया | किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(| किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन्)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें) | किराएदार (किराएदारों) का पैन्/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है) | |
| | | I | | | |
| | | II | | | |
| | | क | प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या किराये पर देने का मूल्य | 1क | |
| | | ख | किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती | 1ख | |
| | | ग | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर | 1ग | |
| | | घ | योग (1ख + 1ग) | 1घ | |
| | | ङ | वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के अधिभोग आदि में है | 1ङ | |
| | | च | स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ) | 1च | |
| | | छ | 1च का 30% | 1छ | |
| | | ज | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाऊन में भरना होगा) | 1ज | |
| | | झ | योग (1छ + 2ज) | 1झ | |
| ञ | वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया वकाया या वसूल नहीं किया गया किराया | 1ञ | | | |
| ट | गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ) | 1ट | | | |
| | (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें) | | | | |
| 2 | पास श्रु आय/हानि, यदि कोई है * | 2 | | | |
| 3 | "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (Σ1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें) | 3 | | | |
| टिप्पण ▶ | इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें। | | | | |
| टिप्पण ▶ | किराएदार का पैन्/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है | | | | |
| टिप्पण ▶ | किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है | | | | |

| | | |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुसूची - कारबार या वृत्ति | | कारबार या वृत्ति से आय की संगणना |
| कारबार या वृत्ति से आय | अ | सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से |
| | 1 | लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv)) |
| | 2क | 1 में सम्मिलित सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) /क्रम सं. 12ख का ट्रेडिंग खाता + क्रम सं 65iv अनुसूची लाभ और हानि का 65(4)/ |
| | | 1 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------------------------|
| 2ख | 1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) | | | 2ख | | |
| | 3 | धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य अन्य शीर्षों के अधीन आय, लाभ तथा हानि लेख में जमा प्राप्ति/ आय | क | वेतन | 3क | |
| | | | ख | गृह संपत्ति | 3ख | |
| | | | ग | पूँजी अभिलाभ | 3ग | |
| घ | | | अन्य स्रोत | 3घ | | |
| | | | ङ | धारा 115खखच के अधीन | 3ङ | |
| | | | च | 115खखछ के अधीन | 3च | |
| | | | छ | धारा 115खखज (अधिग्रहण की शुद्ध लागत) | 3छ | (अनुसूची वीडिए की मद सं. क) |
| 4क | 1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कघक/44कड/44ख/44खख/44खखक/ 44खखग/44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) | | | 4क | | |
| 4ख | नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉप डाऊन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप डाऊन)) | | | 4ख | | |
| 5 | (1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है | | | | | |
| | क | फर्मों से आय का शेयर | | 5क | | |
| | ख | एओपी / बीओआई से आय का शेयर | | 5ख | | |
| | ग | कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | | |
| | | i | | गां | | |
| | | ii | | गांii | | |
| | | iii | योग (ग i + ग ii) | 5 ग iii | | |
| घ | कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii) | | | 5 घ | | |
| 6 | शेष (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3च - 3छ - 4क - 4ख - 5 घ) | | | | 6 | |
| 7 | लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्षों के अधीन परिकलित आय | क | वेतन | 7क | | |
| | | ख | गृह संपत्ति | 7ख | | |
| | | ग | पूँजी अभिलाभ | 7ग | | |
| | | घ | अन्य स्रोत | 7घ | | |
| | | ङ | धारा 115खखच के अधीन | 7ङ | | |
| | | च | 115खखछ के अधीन | 7च | | |
| | | छ | धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत से भिन्न) | 7छ | | |
| 8क | लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है | | | 8क | | |
| 8ख | धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखों में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देने और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 16) | | | 8ख | | |
| 9 | कुल (7क+7ख+7ग+7घ+7ङ+7च+7छ+8क+8ख) | | | 9 | | |
| 10 | समायोजित लाभ या हानि (6 + 9) | | | 10 | | |

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 11 | लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण | 11 | |
| 12 | आय-कर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण | | |
| i | धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची अवक्षयण का स्तंभ 6) | 12i | |
| ii | धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आय-कर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें) | 12ii | |
| iii | कुल (12i + 12ii) | 12iii | |
| 13 | अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii) | 13 | |
| 14 | धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 6घ) | 14 | |
| 15 | धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 7 य) | 15 | |
| 16 | धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 8कड) | 16 | |
| 17 | धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 9 च) | 17 | |
| 18 | पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं (भाग क -ओआई का 11ज) | 18 | |
| 19 | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज | 19 | |
| 20 | धारा 41 के अधीन समझी गई आय | 20 | |
| 21 | धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35कखख / 35कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-क के अधीन समझी गई आय | 21 | |
| 22 | धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय | 22 | |
| 23 | धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें | 23 | |
| 24 | कोई अन्य आय, जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है/ अननुज्ञात कोई व्यय (जिसके अधीन उस फर्म से, जिसमें कोई व्यक्ति/हिंदू अविभक्त कुटुंब/स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है) | 24 | |
| 25 | आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कमी (अनुसूची णड के स्तम्भ 3क + 4ख) | 25 | |
| 26 | कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25) | 26 | |
| 27 | धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती | 27 | |
| 28 | लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गग या धारा 35गघ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची डधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35गग या धारा 35गघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी) | 28 | |
| 29 | किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क- ओआई का 8ख) | 29 | |
| 30 | किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओआई का 10ज) | 30 | |
| 31 | कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम | 31 | |

| | | | | | | |
|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--|
| | | 32 | आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (भाग क -ओआई का स्तम्भ 3ख + 4ङ) | 32 | | |
| | | 33 | कुल (27+28+29+30+31+32) | | 33 | |
| | | 34 | आय (13+26-33) | | 34 | |
| | | 35 | निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि - | | | |
| | | | i धारा 44कघ (अनुसूची लाभ हानि का 61(ii)) | 35i | | |
| | | | ii धारा 44कघक (अनुसूची लाभ हानि का 62 (ii)) | 35ii | | |
| | | | iii धारा 44कङ (अनुसूची लाभ हानि का 63(ii)) | 35iii | | |
| | | | iv धारा 44ख | 35iv | | |
| | | | v धारा 44खख | 35v | | |
| | | | viक धारा 44खखक | 35viक | | |
| | | | viख धारा 44खखग | 35viख | | |
| | | | vii धारा 44घक | 35vii | (प्ररूप उ ग ड की मद ग) | |
| | | | viii कुल (35i से 35vii) | | 35viii | |
| | | 36 | सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii) | | 36 | |
| | | 37 | सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू होने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ङ + 37च) | | क 37 | |
| | | | क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय | 37क | | |
| | | | ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय | 37ख | | |
| | | | ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय | 37ग | | |
| | | | घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय | 37घ | | |
| | | | ङ नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय | 37ङ | | |
| | | | च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40) | 37च | | |
| | | 38 | वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से समझी गई आय का अतिशेष [4ख-(37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ङ.)] | | 38 | |
| | | आ | सट्टा के कारबार से आय की संगणना | | | |
| | | 39 | लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क) | | 39 | |
| | | 40 | धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन | | 40 | |
| | | 41 | धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां | | 41 | |
| | | 42 | अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें) | | ख 42 | |
| | | इ | धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना | | | |
| | | 43 | लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि | | 43 | |
| | | 44 | धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन | | 44 | |
| | | 45 | धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ ((i) धारा 35कङ, (ii) धारा 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न, जिस कटौती का दावा धारा 35कङ के अधीन किया गया है) | | 45 | |
| | | 46 | विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45) | | 46 | |

| | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 47 | धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियाँ | | 47 | |
| | 48 | अनुमानित कारबार से आय (46 - 47) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल के 7xi से अंक लें) | | ग48 | |
| | 49 | धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाऊन मेन्सू से चयनित की जाए) | | ग49 | |
| उ | | कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 37+ ख 42+ ग 48) | | उ | |
| ऊ | | चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष | | | |
| | क्र.सं. | कारबार आय का प्रकार | चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है) | मुजरा की गई कारबार हानि | मुजरा होने के पश्चात शेष कारबार आय |
| | | | (1) | (2) | (3)=(1) - (2) |
| | i | मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरे यदि अंक नकारात्मक है) | | (क 37) | |
| | ii | अनुमानित कारबार से आय | (ख 42) | | |
| | iii | विनिर्दिष्ट कारबार से आय | (ग 48) | | |
| | iv | मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii) | | | |
| | v | मुजरा होने के बाद शेष हानि (i - iv) | | | |
| टिप्पण | | कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|------|
| अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण | | संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं) | | | | |
| संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण | 1 | आस्तियों का ब्लाक | संयंत्र और मशीनरी | | | |
| | 2 | दर (%) | 15 | 30 | 40 | 45 |
| | | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| | 3 क | पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य | | | | |
| | 3 ख | धारा 115खकग की उपधारा (3) के दूसरे उपबंध के अनुसार समायोजन (नियम 5 के प्रतिनिर्देश) | | | | |
| | 3 | कुल (3क) + (3ख) | | | | |
| | 4 | पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | |
| | 5 | 3ख या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन | | | | |
| | 6 | रकम, जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | |
| | 7 | पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | |
| | 8 | 7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन | | | | |
| 9 | रकम, जिस पर अवक्षयण आधी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो शून्य लिखें) | | | | | |
| 10 | 6 पर पूरी दर से अवक्षयण | | | | | |
| 11 | 9 पर आधी दर से अवक्षयण | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो | | | | |
| 13 | 7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो | | | | |
| 14 | आस्ति, जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण | | | | |
| 15 | कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14) | | | | |
| 16 | आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात अवक्षयण (स्तम्भ 15 में से) | | | | |
| 17 | शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16) | | | | |
| 18 | उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा) | | | | |
| 19 | आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय | | | | |
| 20 | धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है) | | | | |
| 21 | पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | |

| अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण | | अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न, जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है) | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|-------------------|-----------------|-------|
| 1 | आस्तियों का ब्लाक | भूमि | भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है) | | | फर्नीचर और फिटिंग | अमूर्त आस्तियां | पोत |
| | | कुछ नहीं | 5 | 10 | 40 | 10 | 25 | 20 |
| | दर (%) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| 3 | पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य | | | | | | | |
| 4 | पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | | |
| 5 | 3 या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन | | | | | | | |
| 6 | रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | | |
| 7 | पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | | |
| 8 | 7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन | | | | | | | |
| 9 | रकम, जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | | |
| 10 | 6 पर पूरी दर से अवक्षयण | | | | | | | |
| 11 | 9 पर आधी दर से अवक्षयण | | | | | | | |
| 12 | कुल अवक्षयण (10+11) | | | | | | | |
| 13 | आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात अवक्षयण (स्तम्भ 12 में से) | | | | | | | |
| 14 | शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13) | | | | | | | |
| 15 | उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 14 में से) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 | आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय | | | | | | | |
| 17 | धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 16) (केवल तभी नकारात्मक लिखें, यदि ब्लॉक नहीं हैं) | | | | | | | |
| 18 | पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | | |

| अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार | | आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है) | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|---|
| आस्तियों पर अवमूल्यन का सार | 1 | संयंत्र और मशीनरी | | | | | | | |
| | | क | 15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागू) | 1क | | | | | |
| | | ख | 30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागू) | 1ख | | | | | |
| | | ग | 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू) | 1ग | | | | | |
| | | घ | 45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, यथालागू) | 1घ | | | | | |
| | | ङ | संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ) | | | | 1ङ | | |
| | | 2 | भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है) | | | | | | |
| | | | क | 5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागू) | 2क | | | | |
| | | | ख | 10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागू) | 2ख | | | | |
| | | | ग | 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण 14iv या 15iv यथालागू) | 2ग | | | | |
| | | | घ | भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)) | | | 2घ | | |
| | | 3 | फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागू) | | | | | | 3 |
| | | 4 | अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागू) | | | | | | 4 |
| | | 5 | पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथा लागू) | | | | | | 5 |
| | | 6 | कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5) | | | | | | 6 |

| अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ | | अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| | 1 | संयंत्र और मशीनरी | | | | | | |
| | | क | 15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i) | 1क | | | | |
| | | ख | 30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii) | 1ख | | | | |
| | | ग | 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii) | 1ग | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|
| | घ | 45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv) | 1घ | | |
| | ङ | कुल (1क+1ख+1ग+1घ) | | | 1ङ |
| 2 | भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है) | | | | |
| | क | 5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17ii) | 2क | | |
| | ख | 10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iii) | 2ख | | |
| | ग | 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iv) | 2ग | | |
| | घ | योग (2क+2ख+2ग) | | | 2घ |
| 3 | फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17v) | | | | 3 |
| 4 | अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi) | | | | 4 |
| 5 | पोत (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17vii) | | | | 5 |
| 6 | कुल (1ङ+2घ+3+4+5) | | | | 6 |

| अनुसूची इ.एस.आर | | वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती) | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--|
| क्र. सं. | धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो | अनुज्ञेय कटौती की रकम | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती | |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(3) - (2) | |
| i | 35(1)(i) | | | | |
| ii | 35(1)(ii) | | | | |
| iii | 35(1)(iik) | | | | |
| iv | 35(1)(iii) | | | | |
| v | 35(1)(iv) | | | | |
| vi | 35(2अअ) | | | | |
| vii | 35(2अआ) | | | | |
| Viii | 35गगग | | | | |
| ix | 35गगघ | | | | |
| x | योग | | | | |
| | टिप्पण ▶ धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iik) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2कक) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं) | | | | |

| अनुसूची पूंजी अभिलाभ | | पूंजी अभिलाभ | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| अ | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उपमद 4 और 5 लागू नहीं) | | | | | |
| पूंजी अभिलाभ | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें) | | | |
| | | | क्रय/अधिग्रहण की तारीख | तारीख/मास/वर्ष | विक्री/स्थानांतरण की तारीख | तारीख/मास/वर्ष |
| | | क | i | प्राप्त/प्राप्त्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | | का |
| | | | ii | स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | | काii |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|---------|
| | | | पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (कi), इन अंकों को (कi) के रूप में ले या अन्यथा (कii) लें] | | कiii | | | | |
| | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियाँ | | | | | | |
| | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | खi | | | | |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | खii | | | | |
| | | iii | अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | | खiii | | | | |
| | | iv | योग (खi + खii + खiii) | | खiv | | | | |
| | | ग | शेष (कiii - खiv) | | 1 ग | | | | |
| | | घ | धारा 54ख/54छ/54झक के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | 1 घ | | | | |
| | | ङ | स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) | | | क 1 ड | | | |
| | | च | स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण दें) | | | | | | |
| | | | क्रम सं. | क्रेताओं का नाम | क्रेताओं का पैन/ आधार संख्या | प्रतिशत शेयर | रकम | संपत्ति का पता | पिन कोड |
| | | | | | | | | | |
| | | | टिप्पण ▶ | यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है, तो पैन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें। | | | | | |
| | | 2 | गिरावट विक्रय से | | | | | | |
| | | क | i नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य | 2का | | | | | |
| | | | ii नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य | 2कii | | | | | |
| | | | iii प्रतिफल का उचित मूल्य (का या काii में से उच्चतर) | 2काiii | | | | | |
| | | ख | उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति | 2ख | (प्ररूप आडक का 6(ड)) | | | | |
| | | ग | गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 काiii - 2 ख) | | | | | क2ग | |
| | | 3 | ईक्रेटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख ईक्रेटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परन्तुक (ऊll के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां क4 लागू नहीं है) | | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ है | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ है | | | |
| | | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | 3 क | | | | | |
| | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियाँ | | | | | | |
| | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | | | | | |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | | | | | |
| | | iii | अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iii | | | | | |
| | | iv | योग (खi + खii + खiii + खiv) | ख iv | | | | | |
| | | ग | शेष (3क - खiv) | 3 ग | | | | | |
| | | घ | धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटें प्राप्त की जाती है, तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें) | 3घ | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|--|
| | | ड | साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च (संदत्त एसटीटी) पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3 ग +3 घ) | 3ड | | 3डii | क3ड | | |
| | | 4 | अनिवासी के लिए जो एफआईआई नहीं है। - किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश की बिक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनिमय के साथ गणना की जाये) | | | | | | |
| | | क | धारा 111क के अधीन आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी (अ4क + अ4कii) | | | | | अ4क | |
| | | | i) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ है | | | | | अ4क | |
| | | | ii) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ है | | | | | अ4कii | |
| | | ख | क्रम सं. 4क में नहीं आने वाले शेयरों के विक्रय या बंधपत्रों के विक्रय पर एसटीसीजी | | | | | अ4ख | |
| | | 5 | अनिवासियों के लिए - धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (ऊपर अ3 पर से भिन्न) के विक्रय से | | | | | | |
| | | क | i | प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित व्यौर प्रविष्ट करें :- | | | | | |
| | | | क | कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर | i | | | | |
| | | | ख | विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य | ix | | | | |
| | | | ग | पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक) | ig | | | | |
| | | | ii | अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | ii | | | | |
| | | | iii | कुल (ig + ii) | क iii | | | | |
| | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | |
| | | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | | | | |
| | | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | | | | |
| | | | iii | अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iii | | | | |
| | | | iv | योग (खा + खii + खiii) | ख iv | | | | |
| | | ग | शेष (5कiii - खiv) | | | 5 ग | | | |
| | | घ | धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि - उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उद्भूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें) | | | 5 घ | | | |
| | | ड | एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (ऊपर अ3 से भिन्न) 5ग+5 घ) | | | | | क 5 | |
| | | 6 | ऊपर क1 या क2 या क3 या क4 या क5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से | | | | | | |
| | | क | i | आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित व्यौर प्रस्तुत करें | | | | | |
| | | | क | कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | ik | | | | |
| | | | ख | विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य | ix | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ग | पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक) | ग | | | |
| | | | | ii | कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | क ii | | | |
| | | | | iii | कुल (ग + ii) | क iii | | | |
| | | | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | |
| | | | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख ii | | | |
| | | | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख iii | | | |
| | | | | iii | अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iv | | | |
| | | | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख v | | | |
| | | | | ग | शेष (6कiii - खiv) | 6 ग | | | |
| | | | | घ | धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें) | 6 घ | | | |
| | | | | ङ | अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (अनुसूची डीओसीजी का 6) | 6ङ | | | |
| | | | | च | धारा 54ख/54छक के अधीन कटौतियां | 6च | | | |
| | | | | छ | ऊपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ङ - 6च) | | क 6छ | | |
| | | | | 7 | अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | |
| | | | | क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं है, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं | | | | |
| | | | | | क्रम संख्या | पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है | वह धारा, जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि |
| | | | | | i | 2021-22 | 54ख/54छक | | |
| | | | | | ii | 2022-23 | 54ख/54छ/ 54छक | | |
| | | | | | iii | 2023-24 | 54ख/54छ/ 54छक | | |
| | | | | ख | धारा 54ख/54छ/54छक के अधीन समझे गए अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ, से भिन्न | | | | |
| | | | | | समझे गए अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ की कुल राशि (कxi+ कxii + कxiii +ख) | | | क7 | |
| | | | | 8 | अल्पकालिक पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें) (अ8का+अ8कii+अ8ख+अ8ग) | | | क8 | |
| | | | | का | अल्पकालिक पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभाय | | क8का | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | कii | अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 20% की दर से प्रभार्य | क8कii | | | | | | | | |
| | | | | ख | अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य | क8ख | | | | | | | | |
| | | | | ग | अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य | क8ग | | | | | | | | |
| | | | 9 | एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है, परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए दावाकृत प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है | | | | | | | | | | |
| | | | | क्रम संख्या | आय की रकम | ऊपर मद सं. अ1 से अ8, जिसमें सम्मिलित हैं | देश का नाम और कोड | डी डीटी ए के वस्तु | संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य प्रविष्ट करें) | यदि टी आर सी प्राप्त हो | आय-कर अधिनियम की धारा | आय-कर अधिनियम के अनुसार दर | लागू दर [(6) या (9) में से निम्नतर] | |
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| | | | | I | | | | | | | | | | |
| | | | | II | | | | | | | | | | |
| | | | | क | डीटीए के अधीन एसटीसीजी दावाकृत प्रभार्य कर की कुल राशि | | | | | | अ9क | | | |
| | | | | ख | डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से दावाकृत प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम | | | | | | अ9ख | | | |
| | | | | अ(अ) | 1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेषरों के पुनः क्रय पर पूंजीगत हानि [अल्पकालिक पूंजीगत हानि 20%/30%/लागू दर] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब संबंधित डिविडेंट आय धारा 2 (22च) के अधीन प्रस्तावित है) | | | | | | अ(अ) | | | |
| | | | | 10 | कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ1ड+अ2ग+अ3ड+अ4क+अ4ख+अ5ड+अ6छ+अ7+अ8-अ9क+अ(अ)) | | | | | | अ10 | | | |
| | | | आ | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (उपमद 6, 7, 8 और 9 निवासियों के लिए लागू नहीं है) | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए क से च तक पृथकतः ब्यौरे भरें) | | | | | | | | | |
| | | | | | क्रय/अधिग्रहण की तारीख | तारीख/वर्ष/मास | विक्रय/अंतरण की तारीख | तारीख/वर्ष/मास | | | | | | |
| | | | | क | i | प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण प्रतिफल | | | | कां | | | | |
| | | | | | ii | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | | | | कांii | | | | |
| | | | | | iii | पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कांii) के (कां) से गुणा न होने की दशा में इस संख्या को 1.10 (कां) के रूप में ले या अन्यथा (कांii) लें] | | | | कांiii | | | | |
| | | | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | | | | |
| | | | | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | | | खां | | | | |
| | | | | | ii | सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत (केवल निम्न के लिए लागू : (क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरणों को, या (ख) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणन संबंधी प्रयोजनों के लिए निवासियों को, जहां ऐसा अर्जन और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है | | | | खांii | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| | | टिप्पण ▶ | यदि कर की कटौती धारा 194 झक के अधीन की गई है, तो पैन/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, । एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें । | | | |
| | | छ | स्थावर संपत्ति पर कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (Σख1ड) जहां अंतरण | | | |
| | | (क) | 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ का जोड़) | | | |
| | | (ख) | 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ का जोड़) | | | |
| | | (ग) | अनदेखी किए जाने वाला कुल अधिक कर (Σख1डii) | | | |
| | 2 | गिरावट विक्रय से | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i) | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii) | | |
| | | क | i नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य | 2का | | |
| | | | ii नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य | 2काii | | |
| | | | iii प्रतिफल का उचित मूल्य (कां या काii में से उच्चतर) | 2काiii | | |
| | | ख | उपक्रम या प्रभाग की निवल संपत्ति | 2ख | (ग्रहण आडक का 6(ड)) | |
| | | ग | शेष (2काiii - 2 ख) | 2ग | | |
| | | घ | धारा 54डग/54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 2घ | | |
| | | ड | गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ) | ख2ड | ख2डii | |
| | 3 | निवासियों से गैरसूचीबद्ध बंधपत्रों या गैरसूचीबद्ध डिबेंचर के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजीगत सूचीकृत बंधपत्रों से भिन्न) (केवल वहां लागू जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था) | | | | |
| | | क | प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | 3क | | |
| | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | |
| | | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | खा | | |
| | | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | खii | | |
| | | | iii अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | खiii | | |
| | | | iv योग (खा+खii+खiii) | खiv | | |
| | | ग | शेष (3क - खiv) | 3ग | | |
| | | घ | धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 3घ | | |
| | | ड | बंधपत्र या डिबेंचर पर एलटीसीजी (3ग - 3घ) | | ख3ड | |
| | 4(i) | धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी यूनिट से भिन्न) या जीरो कूपन बंधपत्रों के विक्रय से | | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था | |
| | | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | 4क | | |
| | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | |
| | | i | सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत | खा | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| | | | ik सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, केवल धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अनदेखी किए जाने वाले अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू) | खांक | | | |
| | | | ii सूचीकरण के साथ सुधार की लागत | खाii | | | |
| | | | iiik सूचीकरण के बिना सुधार की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, केवल धारा 112(1) के अनुसार अनदेखी किए जाने वाले अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू) | खाiiक | | | |
| | | | iii अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | खाiii | | | |
| | | | iv योग (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, खा + खाii + खाiii) (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था, खांक + खाiiक + खाiii) | खाiv | | | |
| | | | iv योग (खा i + खा ii + खा iii) | खाivक | | | |
| | | | ग शेष (4क - खाiv) | 4ग | | | |
| | | | गक शेष (4क - खाivक) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अनदेखी किए जाने वाले अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए) (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था) | 4गक | | | |
| | | | घ धारा 54घ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें) | 4घ | | | |
| | | | ङ ऊपर आ4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग - 4घ) (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व (ii) अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् | आ4(i)ङ आ4(i)ङा आ4(i)ङाि | | | |
| | | | ङक ऊपर आ4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (4गक - 4घ) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए) | | | | |
| | | | च धारा 112(1)(क)(ii)(अ) या 112(1)(ग)(ii)(अ) के अनुसार कर [सूचीकरण के साथ 20% से एलटीसीजी] [आ4(ङा)*20%] (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था) | आ4(i)च | | | |
| | | | छ धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना 10% से एलटीसीजी] [आ4(ङक)*10%] (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था) | आ4(i)छ | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| | | | अधिक राशि, जिसकी धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अनदेखी करनी है [आ4(च) - आ4(छ)] (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था) | आ4(i)ज | | |
| | 4(ii) | धारा 115कक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी की जीडीआर के विक्रय से (केवल निवासी व्यष्टियों के लिए लागू) | | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i) | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii) | |
| | क | प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | 4क | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | खा | | | |
| | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | खाii | | | |
| | iii | अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | खiii | | | |
| | iv | योग (खा+खाii+खiii) | खiv | | | |
| | ग | शेष (3क - खiv) | 4ग | | | |
| | घ | धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 4घ | | | |
| | ङ | ऊपर आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण (3ग - 3घ) (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था | | आ4(ii)ङ आ4(ii)ङा आ4(ii)ङाii | | |
| | 5 | किसी कंपनी में साम्या शेषों के विक्रय या साम्या उन्मुख निधि की यूनिटों या किसी कारबार न्यास की यूनिट का विक्रय, जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है | | | | |
| | क | धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [अनुसूची 112क का स्तंभ 14(iii)] | 5क | | | |
| | i | स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था | 5का | | | |
| | ii | स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था | 5काii | | | |
| | ख | धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था | | 5ख 5खा 5खाii | | |
| | ग | i. ऊपर आ5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण (5क - 5ख) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था | | आ5ग आ5गा आ5गाii | | |
| | 6 | अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए) | | | | |
| | क | सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी, जहां अंतरण, i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर) | 6क 6का 6काii 6काiii | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| | | | धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | | | | |
| | | ख | i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर) | 6ख 6खi 6खii 6खiii | | | | |
| | | ग | शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी (6क - 6ख) i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर) | | आ6ग आ6गा आ6गii आ6गiii | | | |
| | 7 | | अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या ग्लोबल निक्षेपागार रसीदों, (iii) धारा 115कघ में यथानिर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न, जिसके लिए स्तंभ ख8 भरा जाना चाहिए।) के विक्रय से टिप्पण : क्रम संख्यांक (iii) के लिए, अंतरण की तारीख के आधार पर आय का विभाजन अपेक्षित नहीं है। | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i) | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii) | | | |
| | | क | i | प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें | | | | |
| | | | क | कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | क | | | |
| | | | ख | विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य | ख | | | |
| | | | ग | पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक) | ग | | | |
| | | | ii | कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | कii | | | |
| | | | iii | कुल (ग + ii) | कiii | | | |
| | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | |
| | | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | खi | | | |
| | | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | खii | | | |
| | | | iii | अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | खiii | | | |
| | | | iv | योग (खi + खii + खiii) | खiv | | | |
| | | ग | शेष (कiii - खiv) | | | | | 7ग |
| | | घ | धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | | | | 7घ |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|-----|--------------|--------|-----|
| | | | अनिवासियों की दशा में, ऊपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7ग - 7घ) | | | | | | | |
| | | | <p>i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था [7(i) और 7(ii) के लिए लागू]</p> <p>ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था [7(i) और 7(ii) के लिए लागू]</p> <p>iii. धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय से</p> | | | | आ7ङ | आ7ङiii आ7ङii | आ7ङiii | |
| | | 8 | एफआईआई/एफपीआई (अनिवासियों) के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनितों या किसी न्यास की यूनितों का विक्रय, जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है। | | | | | | | |
| | | | क धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक का स्तंभ 14(iii)] (8का+8कii) | 8क | | | | | | |
| | | | i. स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था | 8का | | | | | | |
| | | | ii. स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था | 8कii | | | | | | |
| | | | ख धारा 54ब के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 8ख | | | | | | |
| | | | i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व | 8खा | | | | | | |
| | | | ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् | 8खii | | | | | | |
| | | | ऊपर आ8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8क - 8ख), जहां अंतरण | | | | आ8ग | आ8गा | आ8गाii | |
| | | | i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था [8(i) और 8(ii) के लिए लागू] | | | | | | | |
| | | | ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था [8(i) और 8(ii) के लिए लागू] | | | | | | | |
| | | 9 | अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दिया गया है) | | | | | | | |
| | | | क (धारा 115क के अनुसार) के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना किया गया) जहां अंतरण | 9क | | | | | | |
| | | | i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था | 9का | | | | | | |
| | | | ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था | 9कii | | | | | | |
| | | | ख धारा 115ब के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 9ख | | | | | | |
| | | | i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था | 9खा | | | | | | |
| | | | ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था | 9खii | | | | | | |
| | | | ग विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (9क - 9ख), जहां अंतरण | | | | | | | आ9ग |
| | | | i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व | आ9गा | | | | | | |
| | | | ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् | आ9गाii | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10 | आस्तियों के विक्रय से, जहां ऊपर आ1 से आ9 तक लागू नहीं है | | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i) | | जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii) | |
| | क | i | आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें | | | |
| | | क | कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | क | | |
| | | ख | विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य | ख | | |
| | | ग | पूजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक) | ग | | |
| | | ii | कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | | कii | |
| | iii | कुल (ग + ii) | | क iii | | |
| ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | |
| | i | 23 जुलाई, 2024 से पूर्व के अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ, तथा 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् के अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना, अर्जन की लागत | | खा | | |
| | ii | 23 जुलाई, 2024 से पूर्व के अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ, तथा 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् के अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना, सुधार की लागत | | खाii | | |
| | iii | अंतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय | | खाiii | | |
| | iv | योग (खा + खाii + खाiii) | | खाiv | | |
| | ग | शेष (10कiii - खाiv) | | 10ग | | |
| | घ | धारा 54घ/54च/54छ/54झक के अधीन कटौती (मद घ में व्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | 10घ | | |
| ङ | ऊपर आ10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (10ग - 10घ) | | आ10ङ | आ10ङi | आ10ङii | |
| 11 | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | | |
| क | क्या नीचे दिखाये गए पूर्ववर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो व्यौरा उपलब्ध करायें | | | | | |
| क्रम संख्या | पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं | धारा, जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया | नई आस्तियां अर्जित/ निर्मित की गई हैं | पूजी अभिलाभ खाते में से उपयोग की गई रकम | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाते (x) में उपयोग में नहीं आई रकम | क्या परिसीमा/ निकासी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | iv | नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम | ग iv | | |
| | | | | | ivक जमा की तारीख | ivख लेखा संख्याक | ivग आईएफएस कोड | |
| | | | | | दिदि/मामा/वाईवाईवाईवाई | | | |
| | | | | v | दावाकृत कटौती की रकम | ग v | | |
| | | | | घ | धारा 54इग के अधीन दावाकृत कटौती | | | |
| | | | | i | मूल आस्ति के अंतरण की तारीख | घi | दिन/मास/वर्ष | |
| | | | | ii | विनिर्दष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम | घii | | |
| | | | | iii | विनिधान की तारीख | घiii | दिन/मास/वर्ष | |
| | | | | iv | दावाकृत कटौती की रकम | घiv | | |
| | | | | ङ | धारा 54च के अधीन दावाकृत कटौती | | | |
| | | | | i | मूल आस्ति के अंतरण की तारीख | ङi | दिन/मास/वर्ष | |
| | | | | ii | नये आवासीय घर की लागत | ङii | | |
| | | | | iii | नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख | ङiii | दिन/मास/वर्ष | |
| | | | | iv | नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम | ङiv | | |
| | | | | | ivक जमा की तारीख | ivख लेखा संख्याक | ivग आईएफएस कोड | |
| | | | | | दिदि/मामा/वाईवाई | | | |
| | | | | v | दावाकृत कटौती की रकम | ङv | | |
| | | | | च | धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती | | | |
| | | | | i | शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख | चi | दिन/मास/वर्ष | |
| | | | | ii | नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय | चii | | |
| | | | | iii | शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख | चiii | दिन/मास/वर्ष | |
| | | | | iv | नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम | चiv | | |
| | | | | | ivक जमा की तारीख | ivख लेखा संख्याक | ivग आईएफएस कोड | |
| | | | | | दिदि/मामा/वाईवाई | | | |
| | | | | v | दावाकृत कटौती की रकम | चv | | |
| | | | | छ | धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती | | | |
| | | | | i | शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख | छi | दिन/मास/वर्ष | |
| | | | | ii | विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय | छii | | |
| | | | | iii | विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख | छiii | दिन/मास/वर्ष | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | 30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई | | | | | |
| 4 | लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई | | | | | |
| 5 | डीटीए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई | | | | | |
| 6 | 10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 xक से मूल्य भरें, यदि कोई | | | | | |
| 7 | 12.5 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 xख से मूल्य भरें, यदि कोई | | | | | |
| 8 | 20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई | | | | | |
| 9 | डीटीए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें | | | | | |
| 10 | आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 17ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो) | | | | | |
| टिप्पण | कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है। | | | | | |

| किन्नी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अधीन एस्टीमेट का भुगतान किया जाता | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| अनुसूची- 112क | अंतिम शेषर/इकाई (31 जनवरी 2018 को या उसके पूर्व/पश्चात्) | अंतरित शेषर/यूनिट (23 जुलाई 2024 को या उसके पूर्व/पश्चात्) | आईएसआईए न कोड | शेषर/इकाई का नाम | शेषर/इकाई यों की संख्या | प्रति शेषर/इकाई का बिक्री-मूल्य | प्रतिफल का पूरा मूल्य, यदि शेषर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेषर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें। | अनुक्रमण के बिना अधिग्रहण की लागत (8 या 9 से अधिक) | अधिग्रहण की लागत | यदि दीर्घाविधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम) | 31 जनवरी, 2018 के प्रति शेषर/इकाई का उचित बाजार मूल्य | धारा 55(2)(कग) - (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार | अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय | कुल कटौति या (7 + 12) | शेष (6-13) - आईटीआर -3 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क) |
| क्रम सं. | अंतिम शेषर/इकाई (31 जनवरी 2018 को या उसके पूर्व/पश्चात्) | अंतरित शेषर/यूनिट (23 जुलाई 2024 को या उसके पूर्व/पश्चात्) | आईएसआईए न कोड | शेषर/इकाई का नाम | शेषर/इकाई यों की संख्या | प्रति शेषर/इकाई का बिक्री-मूल्य | प्रतिफल का पूरा मूल्य, यदि शेषर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेषर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें। | अनुक्रमण के बिना अधिग्रहण की लागत (8 या 9 से अधिक) | अधिग्रहण की लागत | यदि दीर्घाविधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम) | 31 जनवरी, 2018 के प्रति शेषर/इकाई का उचित बाजार मूल्य | धारा 55(2)(कग) - (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार | अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय | कुल कटौति या (7 + 12) | शेष (6-13) - आईटीआर -3 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क) |
| (स्तंभ 1) | (स्तंभ 1क) | (स्तंभ 1ख) | (स्तंभ 2) | (स्तंभ 3) | (स्तंभ 4) | (स्तंभ 5) | (स्तंभ 6) | (स्तंभ 7) | (स्तंभ 8) | (स्तंभ 9) | (स्तंभ 10) | (स्तंभ 11) | (स्तंभ 12) | (स्तंभ 13) | (स्तंभ 14) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति जोड़ें | | | | | | | | | | | | | | | |
| (i) स्तंभ 14 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व था। | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ii) स्तंभ 14 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था। | | | | | | | | | | | | | | | |
| (iii) धारा 112क के साथ पठित 115कघ (1) (ख)(iii) के परंतुक (I + II) के तहत एलटीसीजी का कुल | | | | | | | | | | | | | | | |

| अनुसूची-अन्य स्रोत | | अन्य स्रोतों से आय | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ) | 1 | |
| | क लाभांश, सकल (क ⁱ + क ⁱⁱ + क ⁱⁱⁱ) | 1क | |
| | i और iii के अलावा लाभांश आय | क ⁱ | |
| | ii धारा 2(22)(ड़)के अधीन लाभांश आय | क ⁱⁱ | |
| | iii धारा 2(22)(च)के अधीन लाभांश आय | क ⁱⁱⁱ | |
| | ख ब्याज, सकल(ख ⁱ + ख ⁱⁱ + ख ⁱⁱⁱ + ख ^{iv} + ख ^v + ख ^{vi} + ख ^{vii} + ख ^{viii} + ख ^{ix}) | 1ख | |
| | i बचत खाते से | ख ⁱ | |
| | ii जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से | ख ⁱⁱ | |
| | iii आय-कर प्रतिदाय से | ख ⁱⁱⁱ | |
| | iv पास थ्रु आय की प्रकृति की आय में | ख ^{iv} | |
| | v धारा 10(11)के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज | ख ^v | |
| | 10(12) | | |
| | vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज | ख ^{vi} | |
| | vii धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज | ख ^{vii} | |
| | viii धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज | ख ^{viii} | |
| | ix अन्य | ख ^{ix} | |
| | ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय | 1ग | |
| | घ धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घ ⁱ + घ ⁱⁱ + घ ⁱⁱⁱ + घ ^{iv} + घ ^v) | 1घ | |
| | i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य | घ ⁱ | |
| | ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य | घ ⁱⁱ | |
| | iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य | घ ⁱⁱⁱ | |
| | iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य | घ ^{iv} | |
| | v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य | घ ^v | |
| | ङ कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) | 1ङ | |
| | क्र.सं. | प्रकृति | राशि |
| | 1 | परिवार पेंशन | |
| | 2 | धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय | |
| | 3 | धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय | |
| | 4 | किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया। | |
| | 5 | पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट राशि | |
| | 6 | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि, जिसके अंतर्गत लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती | |
| 2 | विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क ⁱ + 2क ⁱⁱ + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित) | 2 | |
| | कⁱ लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य | 2क ⁱ | |
| | कⁱⁱ धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय | 2क ⁱⁱ | |
| | ख धारा 115खखङ के अधीन प्रभार्य आय (ख ⁱ + ख ⁱⁱ + ख ⁱⁱⁱ + ख ^{iv} + ख ^v + ख ^{vi}) | 2ख | |
| | i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़ | ख ⁱ | |
| | ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान | ख ⁱⁱ | |
| | iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि | ख ⁱⁱⁱ | |

| | | | | |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | iv | धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि | खiv | |
| | v | धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि | खv | |
| | vi | धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम | खvi | |
| ग | | धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष | | 2ग |
| | क्रम सं. | निर्धारण वर्ष | आय अभिलाभ | कर अभिलाभ |
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| | | | | |
| घ | | विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (यसे घxiix का योग) | | 2घ |
| | i | अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य | घi | |
| | ik | अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश | घik | |
| | ii | धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्पान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज | घii | |
| | iii | धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज | घiii | |
| | iv | धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य | घiv | |
| | v | धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख)के अधीन प्रभार्य | घv | |
| | vi | वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य | घvi | |
| | vii | पूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य | घvii | |
| | viii | सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य | घviii | |
| | ix | बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य | घix | |
| | x | धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय | घx | |
| | xi | निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य | घxi | |
| | xii | प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य | घxii | |
| | xiii | धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ आई आई द्वारा प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय परंतुक के अनुसार प्रभार्य | घxiii | |
| | xiv | अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर - धारा 115खकक के अधीन प्रभार्य | घxiv | |
| | xv | कतिपय मामलों में अनाम दान - धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य | घxv | |
| | xvi | धारा 115क(1)(अ)(iiएए) के अधीन प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज | घxvi | |
| | xvii | विकसित और भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व के माध्यम से आय - धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य | घxvii | |
| | xviii | कार्बन क्रेडिट के अंतरण के माध्यम से आय - धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य | घxviii | |
| | xix | धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त) | घxix | |

| | | xx | | अनिवासी भारतीय की विनिधान आय-115ड के अधीन प्रभार्य | | घxx | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| | | ड | | विशेष दरों पर प्रभार्य दावा की गई अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति की पास थु आय (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) | | 2ड | | | | | | | |
| | | च | | ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य दावा की गई है (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) का योग) | | 2च | | | | | | | |
| | | क्रम सं. | आय की रकम | मद सं. 1क, 1कiii, 1ख और 2 जिसमें सम्मिलित किया जाना है | देश का नाम और कूट | डीटीए की मद | संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है) | क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं) | आय-कर अधिनियम की धारा | आय-कर अधिनियम के अनुसार दर | लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर) | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | |
| | | I | | | | | | | | | | | |
| | | II | | | | | | | | | | | |
| 3 | | धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (2क, 2ख, 2घ, 2ड एवं 2च के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न) | | | | | | | | | | | |
| | | क(i) व्यय/कटौतियाँ "ग" में इंदराज के अलावा (पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मामलों में) | | | | | | 3क(i) | | | | | |
| | | क(ii) धारा 57(ii)क के अधीन कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में) | | | | | | 3क(ii) | | | | | |
| | | ख अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूचीओ.एस" की 1 ग में आय दी गई हो) | | | | | | 3ख | | | | | |
| | | ग धारा 57(1)के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1क(i) और/या 1क(ii) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज | | | | | | 3ग | | | | | |
| | | गा धारा 57(1) के अधीन योग्य ब्याज व्यय - कलित राशि | | | | | | 3गा | | | | | |
| | | घ योग | | | | | | 3घ | | | | | |
| 4 | | धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम | | | | | | | | | | 4 | |
| 5 | | धारा 59के अधीन कर से प्रभार्य लाभ | | | | | | | | | | 5 | |
| 5क | | धारा 89 क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा | | | | | | | | | | 5क | |
| 6 | | साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय [1 (डीटीए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 4i को अंक ले जाए | | | | | | | | | | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|-----------|--|
| 7 | | अन्यस्रोतों से आय(दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें) | | | | | | | | | | 7 | |
| 8 | | दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय | | | | | | | | | | | |
| | | क प्राप्तियां | | | | 8क | | | | | | | |
| | | ख केवल 8क में प्राप्तिओं के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां | | | | 8ख | | | | | | | |
| | | ग धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम | | | | 8ग | | | | | | | |
| | | घ धारा 59के अधीन कर से प्रभार्य लाभ | | | | 8घ | | | | | | | |
| | | ड अतिशेष (8क - 8ख+ 8ग+ 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 10xvi के अंक प्रविष्ट करे) | | | | 8ड | | | | | | 8ड | |
| 9 | | "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय(7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्यलिखें) | | | | | | | | | | 9 | |
| 10 | | प्रौद्भूत / अन्य स्त्रोतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना | | | | | | | | | | | |
| | | क्रम सं. | अन्य स्रोतों से आय | 15/6 तक | 16/6 से 15/9 तक | 16/9 से 15/12 तक | 16/12 से 15/3 तक | 16/3 से 31/3 तक | | | | | |
| | | | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | | | | | |
| | | 1 | धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुडदौड़ खेल, जुआ, सट्टेबाजी से जीत पर आय | | | | | | | | | | |
| | | 2 | धारा 115खखज के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय | | | | | | | | | | |
| | | 3क | क्रम सं. 1ए(i) में संदर्भित लाभांश पर आय | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3ख | क्रम सं. 1ए(iii) में संदर्भित लाभांश पर आय | | | | | | |
| 4 | धारा 115क(1)(क)(i)के अधीन धारा 115क(1)(ए)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल) | | | | | | |
| 5 | धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10%की दर से लाभांश आय(जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है) | | | | | | |
| 6 | धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय | | | | | | |
| 7 | धारा 115कगक (1)(ए) के अधीन 10% की दर से लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल) | | | | | | |
| 8 | धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल) | | | | | | |
| 9 | धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा नहीं | | | | | | |
| 10 | डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाय लाभांश आय | | | | | | |
| टिप्पण | | कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें | | | | | |

| अनुसूची सी.वाई.एल.ए | | चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय केव्यारे | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| क्र. सं. | शीर्ष/आय का स्रोत | चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो) | चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि | चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि | चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़ दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि | मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| i | मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है) | | (अनुसूची जत का 3) | (अनुसूची खत की मददकाका 2v) | (अनुसूची गद का6) | |
| ii | वेतन | (अनुसूची ध का 6) | | | | |
| iii | गृह संपत्तियां | (अनुसूची गृहसंपत्तिका 3) | | | | |
| iv | कारवार से आय (विनिर्दिष्ट कारवार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति | (अनुसूची खतकाक 37) | | | | |
| v | सट्टाबाजी से आय | (अनुसूची सीजी की मददका 3 ii) | | | | |
| vi | विनिर्दिष्ट कारबार से आय | (अनुसूची सीजी की मददका 3 iii) | - | | | |
| viiक | 15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ii) | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| viiख | 20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iii) | | | | |
| Viii | 30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iv) | | | | |
| ix | लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iv) | | | | |
| X | डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 11vi) | | | | |
| xiक | 10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 11vii) | | | | |
| xiख | 12.5 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 11viii) | | | | |
| xii | 20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ix) | | | | |
| xiii | डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 11x) | | | | |
| xiv | सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय | (अनुसूची ओएस का 6) | | | | |
| xv | दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ | (अनुसूची ओएस का 8ड) | | | | |
| Xvi | डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय | (अनुसूची ओएस का 7च) | | | | |
| xvii | मुजरा की गई कुल हानि | | | | | |
| xviii | मुजरा करने के पश्चात शेष हानि (i - xvii) | | | | | |

| अनुसूची बी.एफ.एल.ए पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| क्र. सं. | शीर्ष/आय का स्त्रोत | अनुसूची गमठक 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है) | अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा | अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा | धारा 35(4)के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा | मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय | |
| | | | | | | | 1 |
| i | वेतन | (अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii) | | | | | |
| ii | गृह संपत्तियां | (अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii) | (ख/च गृह संपत्तिहानि) | | | | |
| iii | कारबार आय(सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर) | (अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv) | (ख/च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि) | (टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।) | (टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।) | | |
| iv | सट्टेबाजी से आय | (अनुसूची सीवाईएलए का 5 v) | (ख/च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि) | | | | |
| v | विनिर्दिष्ट कारबार से आय | (अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi) | (ख/च या विनिर्दिष्ट कारबार से हानि) | | | | |
| vi क | 15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची गमठक का 5 viक) | (ख/च अल्पकालिक पूंजी हानि) | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| viii | 2017-18 | | | | | | | | | | |
| ix | 2018-19 | | | | | | | | | | |
| x | 2019-20 | | | | | | | | | | |
| xi | 2020-21 | | | | | | | | | | |
| xii | 2021-22 | | | | | | | | | | |
| xiii | 2022-23 | | | | | | | | | | |
| xiv | 2023-24 | | | | | | | | | | |
| xv | 2024-25 | | | | | | | | | | |
| xvi | पूर्वतर वर्ष में हानि का कुल | | | | | | | | | | |
| xvi i | अनुसूची बीएफएलए अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन | (अनुसूची बीएफएलए का 2ii) | | (अनुसूची बीएफएलए का 2iii) | (अनुसूची बीएफएलए का 2iv) | (अनुसूची बीएफएलए का 2v) | | | | (अनुसूची बीएफएलए का 2xiv) | |
| xvi ii | 2025-26 (चालू वर्ष हानियों को अग्रणीत) | (अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii) | | (अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii) | (अनुसूची वीपी का ख42, यदि वे) | (अनुसूची वीपी का ग48, यदि वे) | (2xii + 3xii + 4xii + 5xi + 6xii) | (7xii + 8xii + 9xi + 10xii) | अनुसूची सीजी के मद ड) | (अनुसूची ओएस का 8इयदि-वीई) | |
| xix | आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि | | | | | | | | | | |

अनुसूची यू डी धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

| क्र. सं. | निर्धारण वर्ष | अवक्षयण | | | धारा 35(4) के अधीन भत्ते | | | |
|----------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम | धारा 115खकग(1क) के अधीन करधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प | चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम | अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया | अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम | चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम | अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया |
| (1) | (2) | (3) | (3क) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | चालू निर्धारण वर्ष | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | |
| iii | | | | | | | | |
| iv | | | | | | | | |
| v | योग | | | (बीएफएलए का 3xvi) | | | (बीएफएलए का 4xvi) | |

अनुसूची आईसीडीएस

लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

| क्रम.सं. | आ.स.प्र.मा. | लाभ में वृद्धि(रू.) | लाभ में कमी(रू.) | कुल प्रभाव(रू.) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | लेखा नीति | | | |
| II | तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट | | | |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | किया गया है) | | | |
| III | संनिर्माण संविदाएं | | | |
| IV | राजस्व मान्यता | | | |
| V | मूर्त नियत आस्तियां | | | |
| VI | विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन | | | |
| VII | सरकारी अनुदान | | | |
| VIII | प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है) | | | |
| IX | उधार लेने की लागत | | | |
| X | समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था | | | |
| XI | लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| अनुसूची- 10कक | | धारा 10कककेअधीनकटौती | | | |
| धारा 10कक के अधीन कटौती | विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती | | | | |
| | क्र.स | उपक्रम | वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन/ सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है | क्र.स | कटौती की रकम |
| | क | उपक्रम संख्या 1 | | क | (उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक की म द 17) |
| | ख | उपक्रम संख्या 2 | | ख | (उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक की म द 17) |
| | ग | धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख) | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------|
| अनुसूची 80छ | | धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे | | | | |
| दान के ब्यौरे | क | बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदारदान | | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | | | नकद में दान | अन्य रूप में दान | कुल दान |
| | | i | | | | |
| | | ii | | | | |
| | | iii | कुल | | | |
| | ख | बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान | | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | | | नकद में दान | अन्य रूप में दान | कुल दान |
| | | i | | | | |
| | | ii | | | | |
| | | iii | कुल | | | |
| | ग | अर्हता सीमा के अधधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान | | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | | | नकद में दान | अन्य रूप में रकम | कुल दान |
| | | i | | | | |
| | ii | | | | | |
| | iii | कुल | | | | |
| घ | अर्हता सीमा के अधधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान | | | | | |
| | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | ए.आर.एन (दान संदर्भ संख्या) | दान की रकम | | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | | | नकद में दान | अन्य रूप में दान | कुल दान |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | i | | | | | | |
| | | ii | | | | | | |
| | | iii | | | | | | |

| 80छछक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता हो) | | वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानके ब्यौरे | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------|--|
| क्र. सं. | सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें) | दाता का नाम और पता | दाता का पैना | दान की रकम | | | दान के लिए पात्र रकम | |
| | | | | नकद में संदान | अन्य रीति में संदान | कुल संदान | | |
| i | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | |
| | कुल संदान | | | | | | | |

| अनुसूची 80छछग | | राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| क्रम सं. | तारीख | अभिदाय की रकम | | | अभिदाय योग्य रकम | यूपीआई संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस संव्यवहार संदर्भ संख्या | अंतरण या चेक के लिए | बैंक का आई एफ एस कोड |
| | | नकद में अभिदाय | अन्य माध्यम में अभिदाय | कुल अभिदाय | | | | |
| i | | | | | | | | |
| | (पंक्ति जोड़े) | | | | | | | |
| | कुल अभिदाय | | | | | | | |

| अनुसूची 80घघ | | आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| नियोग्यता की प्रकृति | आश्रित का प्रकार | आश्रित का पैना | आश्रित का आधार | प्ररूप 10क के फाइलिंग की तारीख | फाइल किए गए प्ररूप 10क की अभिस्वीकृति संख्या | नियम 11क(2)(ii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो) | यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो) | रकम |
| | | | | | | | | |

| अनुसूची 80प | | अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--|--|
| नियोग्यता की प्रकृति | प्ररूप 10क के फाइलिंग की तारीख | फाइल किए गए प्ररूप 10क की अभिस्वीकृति संख्या | नियम 11क(2)(ii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो) | यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो) | रकम | | |
| 1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता | | | | | | | |

| अनुसूची द. क | | अनुसंधान संगमों को दान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (ii)क) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतीयां दान की पात्र रकम] | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | | दान की पात्र रकम | |
| | | | नकद दान | अन्य रूप में संदान कुल संदान | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--|--|--|--|
| | i | | | | | |
| | ii | | | | | |
| | iii | कुल | | | | |

| अनुसूची- 80इक | | धारा 80इक के अधीन कटौतियां | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|
| क | धारा 80इक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत) | क 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | क 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| ख | धारा 80इक के अधीन कुल कटौतियां (क1 + क2) | | | | | ख |

| अनुसूची-80-इख | | धारा 80इख के अधीन कटौतियां | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------|--|---|
| धारा 80इख के अधीन कटौतियां | क | ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियां [धारा 80इख(9)] | क1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | | क2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | ख | ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80इख(10)] | ख 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | | ख 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | ग | ऐसे उपक्रमों, जो कि फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों, पोल्ट्री, डेयरी उत्पादों, समुद्री खाद्य के प्रसंस्करण संरक्षण एवं पैकेजिंग में संलग्न हैं की दशा में कटौतियां [धारा 80- इख (11क)] | ग 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | | ग 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | घ | खाद्यानों,उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80इख(11 क)] | घ 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | | | घ 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) | | |
| | ङ | धारा 80इख के अधीन कुल कटौतियां (क1 सेघ2 कायोग) | | | | | ङ |

| अनुसूची-80-इड | | धारा 80इड के अधीन कटौतियां | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| धारा 80इड के अधीन कटौतियां | घ | पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियां | कक1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | | | कक2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | कख | अरुणचल प्रदेश | कख1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | | | कख2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | कग | मणिपुर | कग 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | | | कग 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | कघ | मिजोरम | कघ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | | | कघ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | कङ | मेघालय | कङ 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | | | कङ 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | कच | नागालैंड | कच1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | | | कच2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | कछ | त्रिपुरा | कछ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |
| | | | कछ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30) | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|----|--|
| | कज पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियों (कक 1 से कछ 2 का योग) | कज | |
| ख | धारा 80झड. के अधीन कुल कटौतियों (कज) | ख | |

| अनुसूची-VI क | | अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | भाग ख-कतिपय संदायों की बावत कटौती | | | |
| क | 80ग (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | | ख 80गगग(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | |
| ग | 80गगघ(1) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | | घ 80गगघ(1ख) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | |
| ड | 80गगघ(2) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | | च 80घ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | |
| छ | 80घघ | | ज 80घघख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | |
| झ | 80ड(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | | ञ 80डड(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | |
| ट | 80डडक(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | | ठ 80डडख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | |
| ड | 80छ | | ढ 80छछ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | |
| ण | 80छछक | णा | 80छछग | |
| भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से णा का योग) | | | | 1 |
| 2 | भाग ग-कतिपय आय की बावत कटौती | | | |
| | त 80- झक | (अनुसूची 80 झककाख) | | |
| | थ 80- झकख | | | |
| | द 80- झख | (अनुसूची 80 झखकाड) | | |
| | ध 80- झखक | | | |
| | न 80झड | (अनुसूची 80झड का ड) | प | 80ञक |
| | प 80ञक | | | |
| | फ 80ञकक | (प्रपत्र 10 घक में अनुसूची में क्रम सं. 5I(Aiv) + 5II) | ब | 80थथक (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) |
| | ब 80 थथख | | | |
| | भ 80 ददख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | | | |
| भाग ग के अधीन कुल कटौती (त से भ का योग) | | | | 2 |
| 3 | भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती | | | |
| i | 80 ननक | | ii 80ननख | |
| iii | 80प | | iv 80गगज | |
| v | ई फाईलिंग यूटिलिटी के अनुसार कोई अन्य कटौती (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए) | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------|---|--|
| | भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती(i, ii, iii, iv और v का योग) | 3 | |
| 4 | अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1+2+3 का योग) | 4 | |

| अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर | | धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय | 1 | |
| कुल कटौतियाँ | 1 | | |
| | 2 | धारा 115जग(2)के अनुसार समायोजन | |
| | क | शीर्ष ई के अधीन "कतिपय आय की बाबत कटौतियाँ "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है | 2क |
| | ख | धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा | 2ख |
| | ग | धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है | 2ग |
| | घ | कुल समायोजन(2क + 2ख + 2ग) | 2घ |
| 3 | धारा 115जग(1)के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2घ) | 3 | |
| | 3क धारा 115जग(1)के अधीन आई एफ एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो | 3क | |
| | 3ख धारा 115जग(1)के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय | 3ख | |
| 4 | धारा 115जग(1)के अधीन देय कर [(9% of (3क) + 18.5% of (3ख)] (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रू. से) | 4 | |

| अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा | | धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | निर्धारण वर्ष 2025-26 (भाग-ख-टीटीआई कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर | 1 | | | | |
| 2 | निर्धारण वर्ष 2025-26 (भाग-ख- टीटीआई कुल कर आय का 2आई) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर | 2 | | | | |
| 3 | कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1)को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें | 3 | | | | |
| 4 | उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा) | | | | | |
| | क्र.सं | निर्धारण वर्ष (क) | अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा | | चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग | अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग) |
| | | | सकल(ख1) | पूर्वतर वर्षों में मुजरा(ख2) | अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2) | |
| | I | 2013-14 | | | | |
| | ii | 2014-15 | | | | |
| | iii | 2015-16 | | | | |
| | iv | 2016-17 | | | | |
| | V | 2017-18 | | | | |
| | Vi | 2018-19 | | | | |
| | Vii | 2019-20 | | | | |
| | Viii | 2020-21 | | | | |
| | ix | 2021-22 | | | | |
| | X | 2022-23 | | | | |
| | xi | 2023-24 | | | | |
| | xii | 2024-25 | | | | |
| | xiii | चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2, 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें) | | | | |
| | xiv | योग | | | | |
| 5 | वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मदसं. 4(ग) का कुल | | | | | 5 |
| 6 | पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल | | | | | 6 |

| अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय | | विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल | | | | |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------|--|
| क्रमसं. | व्यक्ति का नाम | व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या | नातेदारी | रकम | आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

| अनुसूची विशेषदर | | धारा | ☑ | विशेषदर (%) | आय (i) | उस पर कर (ii) |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | | 111- पूर्व के वर्षोंके लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष | ☐ | | (अनुसूची ओ.एस का 2Aiii) | (अनुसूची ओ.एस का 2Aiv) |
| 2क | | 111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनितों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 15 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग) | |
| 2ख | | 111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनितों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 20 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vix का भाग) | |
| 3 | | 115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत्त नहीं है) | ☐ | 30 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग) | |
| 4क | | 112(1) परन्तुक (सूचीकरण के साथ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनितों पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो और अनुसूची गछ के क्रम सं. ख3(i)(ज) को हिसाब में लेते हुए उस पर कर, यदि कोई हो] | ☐ | 20 [अनुसूची सीजी के ख4(i)(ज) द्वारा घटाय गया] | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग) | |
| 4ख | | 112(1) परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनितों पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 12.5 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग) | |
| 5क | | 112(1)(ग)(iii) (गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी या सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग) | |
| 5ख | | 112(1)(ग)(iii) (गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 12.5 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग) | |
| 6क | | 115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग) | |
| 6ख | | 115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 12.5 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग) | |
| 7क | | 115कग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय | ☐ | 10 | (अनुसूचि ण ध के 2घix का भाग) | |
| 7ख | | धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय | ☐ | 10 | (अनुसूचि ण ध के 2घxxi का भाग) | |
| 8क | | 115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग) | |
| 8ख | | 115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 12.5 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग) | |
| 9 | | 115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी) | ☐ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग) | |
| 10क | | 115ड (विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग) | |
| 10ख | | 115ड (विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 12.5 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग) | |
| 11क | | 112(अन्य पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | ☐ | 20 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग) | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 11ख | 112(अन्य पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] और और अनुसूची गछ के क्रम सं. ख3(i)(ज) को हिसाब में लेते हुए उस पर कर, यदि कोई हो | □ | 12.5 [अनुसूची सीजी के ख1डii द्वारा घटाय गया] | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग) |
| 12क | 112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक) |
| 12ख | 112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया, जैसा लागू हो] | □ | 12.5 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग) |
| 13 | डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एस.टी.सी.जी | □ | | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix काभाग) |
| 14 | डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एल.टी.सी.जी | □ | | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xii काभाग) |
| 15क | 115खख (लाटरी,वर्गपहेली,दौड़,खेलआदिसेजीत) | □ | 30 | (अनुसूची ओ एस के 2क काभाग) |
| 15ख | 115खखख(ऑनलाईन गेम में जीत) | □ | 30 | (अनुसूची ओ एस के 2क काभाग) |
| 16 | 115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन) | □ | 60 | (अनुसूची ओ एस के 2ख काभाग) |
| 17 | 115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर) | □ | | |
| | क कारबार या वृत्ति से आय | □ | 30 | (अनुसूची बीपी का क3छ) |
| | ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय | □ | 30 | (अनुसूची सीजी का ग2) |
| 18 | 115खखच (पेटेंट से आय पर कर) | □ | | |
| | क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय | □ | 10 | (अनुसूची बीपी का 3ड) |
| | ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय | □ | 10 | (अनुसूची ओ एस का 2घ) |
| 19 | 115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर) | □ | | |
| | क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय | □ | 10 | (अनुसूची बीपी का 3च) |
| | ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय | □ | 10 | (अनुसूची ओ एस का 2घ) |
| 20 | 115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयल्टी सेअनिवासीकीआय) | □ | 10 | (अनुसूची ण.दके2घ काभाग) |
| 21 | डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ अन्य स्रोतों से आय | □ | | (अनुसूची बीईएलए का 5भम काभाग) |
| 22क | धारा 111क या 111क के अलावा 15% की दर से प्रभार्थ लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना | □ | 15 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vक काभाग) |
| 22ख | धारा 111क या 111क के अलावा 20% की दर से प्रभार्थ लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना | □ | 20 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vख काभाग) |
| 23 | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा30% की दर पर प्रभार्थ | □ | 30 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii काभाग) |
| 24क | दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 10% की दर से प्रभार्थ | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक काभाग) |
| 24ख | दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्थ | □ | 12.5 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग) |
| 25क | दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अधीन 10% की दर से प्रभार्थ | □ | 10 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ixक काभाग) |
| 25ख | दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्थ | □ | 12.5 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग) |
| 26 | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्थ होगा | □ | 20 | (अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi काभाग) |
| 27 | विशेष दर पर प्रभार्थ अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है) | □ | | (अनुसूची ओ.एस का 2ड) |
| 28 | अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्थ होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटीमें ड्राप-डाउन दिया जाएगा) | □ | | (अनुसूची ओ एस का 2ड) |
| | | | योग | |

| अनुसूची-आईएफ | | उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिन में आप भागीदार हैं | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|
| फर्म जिनमें भागीदार है | फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं | | | | | | | | |
| | फर्म का नाम | फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक | क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं) | क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां/नहीं) | फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता | लाभ में शेयर की रकम | 31 मार्च को फर्म में पूजा अतिशेष | | |
| | | | | | | i | ii | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | योग | | | | | | | | |

| अनुसूची-छूट प्राप्त आय | | छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो) | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----|---|-------------|--------------------------------------------------|
| छूट प्राप्त आय | 1 | ब्याज से आय | | | | | 1 | | |
| | 2 | i | शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न) | | | i | | | |
| | | ii | कृषि पर उपगत व्यय | | | ii | | | |
| | | iii | पूर्व आयकर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि | | | iii | | | |
| | | iv | नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं. 38) | | | iv | | | |
| | | v | वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें) | | | 2 | | | |
| | | vi | 5लाख रू. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें) | | | | | | |
| | क | जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है | | | | | | | |
| | ख | एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश | | | | | | | |
| | | ग | क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) | | | | | | |
| | घ | क्या कृषि भूमि सिचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) | | | | | | | |
| 3 | अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | | | | | 3 | | | |
| 4 | डीटीएए के अनुसार आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है | | | | | | | | |
| I | क्रम. सं. | आय की रकम | आय की प्रकृति | देश का नाम और कोड | डीटीएए का अनुच्छेद | | | आय का शीर्ष | क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं) |
| | II | | | | | | | | |
| | III | डीटीएए से कुल आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है | | | | | | 4 | |
| 5 | कोई और आय कर दावाकृत प्रभार्य नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई) | | | | | 5 | | | |
| 6 | योग (1+2+3+4+5) | | | | | 6 | | | |

| अनुसूचीपीटीआई | | धारा 115प, धारा 115पक और धारा 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| पास के माध्यम से आय | क्रम | धारा धारा 115प/ 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई | कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम | कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या | क्रम | आय का शीर्ष | मौजूदा वर्ष की आय | निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश | निवल आय/हानि(7-8=9) | ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | 1. | (ड्रॉप-डाउन | | | | i | गृहसंपत्ति | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | दिया जाए) | | | | ii | पूँजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | | | | क | अल्पकालिक अवधि | | | | |
| | | | | | | का | धारा 111क | | | | |
| | | | | | | काii | अन्य | | | | |
| | | | | | | ख | दीर्घकालिक अवधि | | | | |
| | | | | | | खा | धारा 112क | | | | |
| | | | | | | खाii | धारा 112क के अलावा अन्य | | | | |
| | | | | | iii | अन्य स्त्रोत | | | | | |
| | | | | | | क | लाभांश | | | | |
| | | | | | | ख | अन्य | | | | |
| | | | | | iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | | | |
| | | | | | | क | धारा 10(23चखख)के अधीन | | | | |
| | | | | | | ख | धाराके अधीन | | | | |
| | | | | | | ग | धारा.....के अधीन | | | | |
| 2. | | | | | i | गृहसंपत्ति | | | | | |
| | | | | | ii | पूँजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | | | | क | अल्पकालिक अवधि | | | | |
| | | | | | | का | धारा 111क | | | | |
| | | | | | | काii | अन्य | | | | |
| | | | | | | ख | दीर्घकालिक अवधि | | | | |
| | | | | | | खा | धारा 112क | | | | |
| | | | | | | खाii | धारा 112क के अलावा अन्य | | | | |
| | | | | | iii | अन्यस्त्रोत | | | | | |
| | | | | | | क | लाभांश | | | | |
| | | | | | | ख | अन्य | | | | |
| | | | | | iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | | | |
| | | | | | | क | धारा 10(23चखख)के अधीन | | | | |
| | | | | | | ख | धाराके अधीन | | | | |
| | | | | | | ग | धारा.....के अधीन | | | | |
| टिप्पण▶ | | इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें। | | | | | | | | | |

| अनुसूची टी.पी.एस.ए | | ई फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार- धारा खड 92(2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर | 1 | प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है | | | | | | |
| | | क | अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक का दर पर देय होगा | | | | | |
| | 2 | ख | "क" पर 12% की दर से अधिभार | | | | | |
| | | ग | (क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर | | | | | |
| | | घ | कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग) | | | | | |
| | 3 | भुगतान किए गए कर | | | | | | |
| | 4 | निवल देय कर (2घ-3) | | | | | | |
| | 5 | धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख | तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष) | तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष) | तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष) | तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष) | तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष) | तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष) |
| | 6 | बक आर शाखा का नाम | | | | | | |
| | 7 | बीएसआर कोड | | | | | | |
| 8 | चालान का क्रम संख्या | | | | | | | |
| 9 | जमा की गई राशि | | | | | | | |

| अनुसूची-आयकेविदेशीस्रोत | | | भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है) | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| क्र.सं. | देश का कोड(ई फाईलिंग प्रोटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा को भरा जाए) | करदाता की पहचान संख्या | क्र.सं. | आयकाशीर्ष | भारत से बाहर आय भाग ख-टी आई में सम्मिलित | भारत से बाहर संदत्त कर | भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर | भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो | डीटी ए ए का सुसंगत अनुच्छेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है |
| | | | | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (घ) | (च) |
| भारत से बाहर आय और कर राहत | 1 | | i | वेतन | | | | | |
| | | | ii | गृहसंपत्ति | | | | | |
| | | | iii | कारबार या वृत्ति | | | | | |
| | | | iv | पूजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | v | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | | योग | | | | | |
| | 2 | | i | वेतन | | | | | |
| | | | ii | गृहसंपत्ति | | | | | |
| | | | iii | कारबार या वृत्ति | | | | | |
| | | | iv | पूजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | v | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | योग | | | | | | |
| टिप्पण ▶ | | कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें। | | | | | | | |

| (ii) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| अ3 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | | |
| क्र सं. | देश का नाम | देश का कोड | इकाई का नाम | इकाई का पता | जिप कोड | इकाई की प्रकृति | हित अर्जित करने की तारीख | निवेश का आरंभिक मूल्य | अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष | अंत मूल्य | अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम | अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| अ4 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | | |
| क्र सं. | देश का नाम | देश का कोड | वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम | वित्तीय संस्था का पता | जिप कोड | संविदा की तारीख | | | संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य | अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | | (8) | (9) | | |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| ख 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | | |
| क्र सं. | देश का नाम और कोड | जिप कोड | अस्तित्व की प्रकृति | अस्तित्व का नाम और पता | ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी | रखने की तारीख से | कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में) | ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | |
| | | | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| (1) | (2) | (2क) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | | |
| ग 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है) | | | | | | | | | | | | |
| क्र सं. | देश का नाम और कोड | जिप कोड | संपत्ति का पता | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | अर्जन की तारीख | कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में) | संपत्ति से प्राप्त आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| (i) | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | |
| छ | भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा (i) जो उपरोक्त मद क से च में सम्मिलित नहीं ; और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय में सम्मिलित नहीं की गई है | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | देशकानामऔरकोड | जिप कोड | जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता | प्राप्त आय | आय की प्रकृति | क्या आपके पास कराधेय है। | यदि (6)हां में है,तोइस विवरणी में पेश की गई आय | | | |
| | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2 क) | (2 ख) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| (i) | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | |
| टिप्पण ▶ | कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यक्ति होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्ववर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| अनुसूची 5क | पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी | | | | |
| | पति या पत्नी का नाम | | | | |
| | पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार | | | | |
| | क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख या किसी अन्य उपबंध (इस अधिनियम की धारा 92ड या किसी अन्य अधिनियम के अधीन से भिन्न) के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 44 कख या किसी अन्य उपबंध (इस अधिनियम की धारा 92ड या किसी अन्य अधिनियम के अधीन से भिन्न) के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक | | | | हाँ/नहीं |
| | क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92 ड के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 92 ड के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक | | | | हाँ/नहीं |
| | आय के शीर्ष | शीर्ष के अधीन प्राप्त प्राप्तियां | पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम | (ii) की आय पर कटौती किए गए टीडीएस की रकम पर | पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टीडीएस |
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| 1 | गृहसंपत्ति | | | | |
| 2 | कारबार या वृत्ति | | | | |
| 3 | पूँजीअभिलाभ | | | | |
| 4 | अन्य स्रोत | | | | |
| 5 | योग | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| अनुसूची क.ठ | वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अधीन से भिन्न)(उस दशा में जहां कुल आय 1 करोड़ ₹0 से अधिक है, लागू होती है) | | | | |
| आस्ति और दायित्व के विवरण | क | स्थावर आस्ति का ब्यौरा | | | |
| | क्रम सं० | विवरण | पता | पिनकोड | रकम (लागत) ₹0 में |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | (i) | | | | |
| | (ii) | | | | |
| | ख | जंगम आस्ति का ब्यौरा | | | |
| | क्रम सं० | विवरण | | | रकम (लागत) ₹0 में |
| | (1) | (2) | | | (3) |
| | (i) | आभूषण, बुलियन आदि | | | |
| | (ii) | पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति | | | |
| | (iii) | वाहन, नौका, नाव और वायुयान | | | |
| | (iv) | वित्तीय आस्ति | | | रकम (लागत) ₹0 में |
| | | (क) बैंक (जिसके अधीन सभी जमा राशियां) | | | |
| | | (ख) शेयर और प्रतिभूतियां | | | |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| | (ग) बीमा पॉलिसी | | |
| | (घ) ऋण और दिए गया अग्रिम धन | | |
| | (ङ) हाथ नकदी | | |
| ग | भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज | | |
| क्रम सं० | फर्मों / एओपी का नाम और पता | फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या | लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारित का विनिवेश |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| घ | आस्तियों (क +ख +ग) के संबंध में दायित्व | | |
| टिप्पण ▶ | इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें। | | |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| अनुसूची जी.एस.टी | | जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना | |
| जी.एस.टी का ब्यौरा | क्रम. सं. | जी.एस.टी आई एन संख्या | फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य |
| | (1) | (2) | (3) |
| टिप्पण | कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें। | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन | | | कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-इकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते | | | | | |
| विवरण | क्रम सं. | निर्धारण वर्ष | कर स्थगन की राशि आगे लायी गई | गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं? | | | अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3-7) | |
| | | | | ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए स्तंभ 3के ऐसे बिक्री का कर गुण का तारीख व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण) | नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आर्बटित या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तारीख बताएं | उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आर्बटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तारीख बताएं | | चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | 2021-22 | पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8 | | | | | |
| | 2 | 2022-23 | पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8 | | | (निर्धारण वर्ष 2026-27में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26में देय) | | |
| | 3 | 2023-24 | पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8 | | | | | |
| | 4 | 2024-25 | | | | | | |
| | 5 | 2025-26 | | | | | | |

भाग-ख

| भाग ख-कुल आय | | कुल आय की संगणना | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 1 | वेतन(अनुसूची थ का 6) | 1 | |
| 2 | गृह संपत्ति से आय(अनुसूची-गृहसंपत्ति का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें) | 2 | |
| 3 | कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ | | |
| i | सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ.काक37) | 3i | |
| ii | सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची गचठ से अंक लें) | 3ii | |
| iii | विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें) | 3iii | |
| iv | विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूचि ख.त. के 3ड, 3च और 3छ) | 3iv | |
| v | योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें) | 3v | |
| 4 | पूंजीअभिलाभ | | |
| क अल्पकालिक | | | |
| i | अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ii) | क i | |
| ii | अल्पकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iii) | क ii | |
| iii | अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iv) | क iii | |
| iv | लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य(अनुसूची सीजी की मद ड का 11v) | क iv | |
| v | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि सीजीके मद ड का 11vi) | क v | |
| vi | अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें) | क v | |
| ख दीर्घकालिक | | | |
| i | दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11vii) | ख i | |
| ii | दीर्घकालिक प्रभार्य @ 12.5% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11viii) | ख ii | |
| iii | दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ix) | ख iii | |
| iv | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजीके मद ड का 11x) | ख iv | |
| v | दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि है तो शून्य भरे) | ख iv | |
| ग | अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (4क v + 4खiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें) | 4ग | |
| घ | धारा 115खख के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2) | 4घ | |
| ङ | कुल पूंजीगत अभिलाभ (4ख + 4घ) | 4ङ | |
| 5 | अन्य स्रोतों से आय | | |
| क | अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो) | 5 क | |
| ख | विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय(अनुसूची णघ का 2) | 5 ख | |
| ग | घुडदोड के स्वामिस्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूची णघ का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे) | 5 ग | |
| घ | कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे) | 5 घ | |
| 6 | शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v + 4ङ + 5 घ) | 6 | |
| 7 | 6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची गमठक चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii कायोग) | 7 | |
| 8 | चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलएके स्तंभ 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv) | 8 | |
| 9 | 8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रनीत हानियां (अनुसूची खचठक के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग) | 9 | |

कुल आय

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | सकल कुल आय(8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के स्तंभ 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग+ 5ख + Biv) | 10 |
| 11 | धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है | 11 |
| 12 | अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ | |
| क | अनुसूची 6क का भाग ख,गक और घ [अनुसूची 6कका (1+3) और (बीएफएलए का i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5)तक सीमित] | 12क |
| ख | अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित] | 12ख |
| ग | कुल(12क + 12ख)(10-11) तक सीमित) | 12ग |
| 13 | धारा 10 कक के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 कक का ग) | 13 |
| 14 | कुल आय (10 -12ग -13) | 14 |
| 15 | आय जो 14 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग) | 15 |
| 16 | दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/ कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3) | 16 |
| 17 | कुल आय (14-15+16)(लागू होगा यदि(14-15)अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है) | 17 |
| 18 | अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ(अनुसूची गचठ की पंक्ति xvi का योग) | 18 |
| 19 | धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3) | 19 |

| भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व | | कुल आय पर कर दायित्व की संगणना | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----|
| कर दायित्व की संगणना | 1 | क धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4) | 1क | | |
| | | ख (क) पर अधिभार (यदि लागू है) | 1ख | | |
| | | ग स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर | 1ग | | |
| | | घ समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर(ह)उ पर(1क +1ख +1 ग) | 1घ | | |
| | 2 | कुल आय पर संदेय कर | | | |
| | | क भाग ख-टी आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर | 2क | | |
| | | ख विशेष दरों पर कर(अनुसूची दझ का (ii) का योग) | 2ख | | |
| | | ग कृषि आय पर रिबेट (लागू होगा यदि (भाग ख-टी आई कुल आय का(14-15)अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है) | 2ग | | |
| | | घ कुल आय पर संदेय कर(2क + 2ख- 2ग) | 2घ | | |
| | | ड धारा 87क के अधीन रिबेट | 2ड | | |
| | | च रिबेट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड) | 2च | | |
| | | छ अधिभार | उपातिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार | उपातिक राहत के बाद अधिभार | 2छ |
| | | i अनुसूची धझ के 17(ii) का @25 प्रतिशत | 2छi | ik | |
| | | ii 10% या 15% पर लागू(निर्देश संदर्भ) | 2छ ii | ik | |
| | iii अनुसूची एस.आई का 2च- 17(ii) उपर्युक्त 2छ(ii) में संदर्भित आय पर कर) | 2छ iii | | | |

| | | iv कुल(िक + iiक) | 2छiv | |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| | ज | स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छiii) | 2ज | |
| | झ | कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2ज) | 2झ | |
| | 3 | कुल कर संदेय (1घ और 2i से उच्चतर) | 3 | |
| | 3क | धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80 आईएसी(3-3ख) अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर | 3क | |
| | 3ख | धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) (vi)में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर | 3ख | |
| | 4 | पूर्वतर वर्ष में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा (लागू यदि 21 घ से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5) | 4 | |
| | 5 | धारा 115जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4) | 5 | |
| | 6 | कर राहत | | |
| | क | धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें) | 6क | |
| | ख | धारा 90 या धारा 90क(अनुसूची टीआर का 2) | 6ख | |
| | ग | धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3) | 6ग | |
| | घ | कुल (6क + 6ख + 6ग) | 6घ | |
| | 7 | शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है) | 7 | |
| | 8 | ब्याज और फीस देय | | |
| | क | विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज(धारा 234क) | 8क | |
| | ख | अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख) | 8ख | |
| | ग | अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग) | 8ग | |
| | घ | आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234च) | 8घ | |
| | ड | कुल ब्याज और फीस देय (8क +8ख +8ग + 8घ) | 8ड | |
| | 9 | औसत दायित्व (7 + 8ड) | 9 | |
| | 10 | संदत्त कर | | |
| | क | अग्रिम कर(17 क् के स्तंभ 5 से) | 10क | |
| | ख | स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल) | 10ख | |
| | ग | टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7(i)) | 10ग | |
| | घ | स्वतःनिर्धारण कर(17कस्तंभ 5 से) | 10घ | |
| | ड | संदत्त कुल कर (10क +10ख +10ग +10घ) | 10ड | |
| संदत्त कर | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| | 11 | संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें) | 11 | | | | | |
| | 12 | प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोड है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा) | 12 | | | | | |
| | 13 | क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं) | हां या नहीं का चयन करें | | | | | |
| | i. | क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त) | | | | | | |
| बैंकखाता | | क्रमसं. | भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड | बैंककानाम | खातासं . | खाता का प्रकार (ई फाईलिंग द्वारा उपबंधित डापडाउन) | प्रत्यय वापसी के लिए खाता चयन करें | |
| | | i | | | | | | |
| | | ii | | | | | | |
| | | नोट: 1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए। 2. बहुविध खातों का चयन करने के मामले में, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमान्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। | | | | | | |
| | | आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है | | | | | | |
| | | ii. | ख) गैर-निवासी, उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं | | | | | |
| | | | क्रम सं. | स्विफ्ट कोड | बैंक का नाम | स्थान का देश | आईबीएन | |
| | | | 1. | | | | | |
| | | 14 | क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अधीन किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें) | | | | □हां□नहीं | |
| | | 15 | यदि विवरणीकर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें: | | | | | |
| | | कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. | | | कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम | | कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर | |
| | | | | | | | | |
| | | यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम | | | | 16 | | |
| | 17 | अनुसूची-आयकर | | | | | | |
| | | क | आय-करकेअग्रिमकर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे | | | | | |
| | | कर संदाय | क्रम सं. | बीएसआर कोड | निकषेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) | चालान का क्रम सं. | रकम(रू.) | |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | i | | | | | | |
| | | ii | | | | | | |
| | | iii | | | | | | |
| | | iv | | | | | | |

| | | | जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी धारा 371(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति] | और कर संग्रहण खाता संख्यांक) | टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित | वित्तीय वर्ष जिस में संग्रहण किया गया | रकम बी/एफ | स्वयं संग्रहित किया | धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो) | स्वयं दावा किया गया | धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो) | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) | (2i) | (2ii) | (3) | (4) | (5) | (6i) | (6ii) | (7i) | (7ii) | (8) | | |
| i | | | | | | | | | | | टी.सी.एस पैर | |
| ii | | | | | | | | | | | | |
| टिप्पण ► कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें । | | | | | | | | | | | | |

सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है ।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूँ कि मैं..... (झाप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ / रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

| | | | | |
|-------|--|-------|--|-----------------|
| तारीख | | स्थान | | हस्ताक्षर " ; । |
|-------|--|-------|--|-----------------|